# राजस्थान आवासन मण्डल

राजस्थान आवासन बोर्ड अधिनियम 1970 के तहत गठित राजकीय उपक्रम
(राजस्थान अधिनियम संख्या 4 सन् 1970)

# प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन

## वित्तीय वर्ष 2015-16 (दिसम्बर 2015 तक)

# मण्डल की महत्त्वपूर्ण आवासीय योजनाएं

राजस्थान आवासन मण्डल एवं
सिंगापुर को-ऑपरेशन एन्टरप्राइजेज के बीच एमओयू

चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर

प्रताप एन्क्लेव, प्रताप नगर

मेवाड़ अपार्टमेन्ट, प्रताप नगर

रामकृष्ण अपार्टमेंट, मानसरोवर

कृष्णा अपार्टमेन्ट, जयपुर

# राजस्थान आवासन मण्डल

## प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन

## वित्तीय वर्ष 2015–16 (दिसम्बर 2015 तक)

## विषय सूची


| क्र. सं. | विषय | | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | सामान्य | ... | 1 |
| 2 | आवास निर्माण / आवंटन | ... | 1 |
| 3 | वित्त प्रबन्धन / पंजीकरण प्रक्रिया | ... | 2 |
| 4 | गुणवत्ता नियंत्रण | ... | 12 |
| 5 | प्रभावी मॉनिटरिंग व्यवस्था | ... | 13 |
| 6 | मण्डल की कॉलोनी में नागरिक सुविधाएँ | ... | 13 |
| 7 | प्रचार प्रसार | ... | 13 |
| 8 | राशि संग्रहण केन्द्र | ... | 14 |
| 9 | समस्याओं का समयबद्ध निराकरण | ... | 17 |
| 10 | कम्प्यूटरीकरण | ... | 18 |
| 11 | भूमि अवाप्ति | ... | 18 |
| 12 | भौतिक प्रगति | ... | 19 |
| 13 | वित्तीय तथा भौतिक प्रगति के ग्राफ | ... | 19 |
| 14 | अभिनव प्रयोग एवं नवाचार | ... | 23 |
| 15 | महत्वपूर्ण योजनाएँ | ... | 28 |
| 16 | अफोर्डेबल हाउसिंग योजना–2009 | ... | 37 |
| 17 | राज्य सरकार द्वारा निर्देशित योजनाओं का विवरण | ... | 38 |
| | तालिकाएं | | |
| i. | दिसम्बर, 2015 तक निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये गये शहर / कस्बों की सूची | ... | 39 |
| ii.a | शहरवार / आयवर्ग अनुसार आवासों का कार्य प्रारम्भ / पूर्ण की सूची | ... | 40 |
| ii.b | शहरवार / आयवर्ग अनुसार आवासों का आवंटन / कब्जे की सूची | ... | 42 |
| iii.a | नये आवास प्रारम्भ (आय वर्गानुसार / वर्षवार) | ... | 44 |
| iii.b | आवास पूर्ण किये गये (आय वर्गानुसार / वर्षवार) | ... | 45 |
| iii.c | आवासों का आवंटन (आय वर्गानुसार / वर्षवार) | ... | 46 |
| iii.d | आवासों का कब्जा देना (आय वर्गानुसार / वर्षवार) | ... | 47 |
| iv.a | धारा 27 व 4(1) के तहत मण्डल स्तर पर लंबित / प्रक्रियाधीन भूमि अवाप्ति के प्रकरण | ... | 48 |
| iv.b | धारा 11(1) के तहत राज्य सरकार स्तर पर लंबित / प्रक्रियाधीन भूमि अवाप्ति के प्रकरण | ... | 49 |
| iv.c | विशेषाधिकारी स्तर पर प्रक्रियाधीन भूमि अवाप्ति के प्रकरण | ... | 49 |
| v.a | स्वीकृत–कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण | ... | 50 |
| v.b | स्वीकृत–कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण (वर्क चार्ज स्टाफ) | ... | 52 |
| vi. | पुरस्कार | ... | 53 |
| vii. | मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय की ई–मेल सूची | ... | 54 |
| viii. | जिलेवार आवासन मण्डल के नोडल अधिकारियों की सूची | ... | 59 |
| ix. | प्रशासनिक ढांचा | ... | 62 |
| x. | अध्यक्ष एवं आवासन आयुक्त की पदस्थापना सूची | ... | 63 |

# राजस्थान आवासन मण्डल

प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन
वित्तीय वर्ष 2015–16 (दिसम्बर 2015 तक)

## 1. सामान्य

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही रोजगार की तलाश में जीवनयापन के लिए लोगों का गाँवों से शहरों की ओर पलायन, बढ़ते औद्योगीकीकरण एवं शहरीकरण के कारण आवासों की मांग में अत्यधिक वृद्धि हुई है। आवास, मनुष्य की तीन मूलभूत आवश्यकताओं (रोटी, कपड़ा और मकान) में से एक है। राजस्थान आवासन मण्डल प्रदेशवासियों को अपना घर होने की कल्पना को मूर्तरूप देने में सतत् प्रयत्नशील रहा है। आवासों की बढती मॉग की पूर्ति करने के उद्देश्य से 24 फरवरी, 1970 को राजस्थान आवासन मण्डल की स्थापना की गई। अपनी स्थापना से ही आवासन मण्डल सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाओं से युक्त कॉलोनियों का विकास कर सभी वर्गों के लिए उचित कीमत पर आवास उपलब्ध कराने की दिशा में सतत प्रयत्नशील हैं। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मूर्तरूप देने हेतु आवासन मण्डल कुल निर्मित आवासों में से लगभग 60 प्रतिशत से अधिक आवास आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के पंजीकृत आवेदकों के लिए निर्मित करता हैं।

## 2.1 आवास निर्माण / आवंटन

आवासन मण्डल की स्थापना से लेकर दिसम्बर, 2015 तक की अवधि में प्रदेश के 77 शहरों में मण्डल की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आवेदकों द्वारा पंजीकरण कराया गया। मण्डल ने अपनी स्थापना से दिसम्बर, 2015 तक 65 शहरों में विभिन्न वर्गों के लिए कुल 250124 आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया। इनमें से 239341 आवास पंजीकृत आवेदकों को आवंटित किये गये, 237750 आवास पूर्ण किये गये तथा 220748 आवासों का कब्जा भी दिया जा चुका है। निर्माण कार्यो पर रू. 6488.39 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। दिसम्बर, 2015 तक राज्य के 32 शहर/कस्बों में विभिन्न आय वर्गों में पंजीकृत आवेदकों के लिए 12374 आवासों का निर्माण प्रगति पर है।

## 2.2 वित्त प्रबन्धन

आवासन मण्डल अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्त का प्रबंध स्वंय करता है, जिसमें स्व–वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत आवंटियों से प्राप्त राशि तथा वाणिज्यिक एंव आवासीय सम्पत्तियों के समयबद्ध निस्तारण से प्राप्त राशि का विशेष योगदान है। पिछले वर्षों में वित्तीय संस्थाओं द्वारा ब्याज की दरें घटाने के फलस्वरूप मण्डल द्वारा पूर्व में उच्च ब्याज दरों पर लिये गये ऋण रू 140.79 करोड़ की राशि का समय पूर्व भुगतान कर ऋणभार को कम किया गया एवं वर्तमान में कम ब्याज दर पर प्राप्त केवल नेशनल हाऊसिंग बैंक का माह दिसम्बर 2015 के अन्त में रू 5.72 करोड़ राशि का ऋण ही बकाया है। मण्डल की योजनाओं के विकास हेतु मण्डल राज्य सरकार से अनुदान/वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं करता है।

# 3. पंजीकरण प्रक्रिया

## 3.1 पंजीकरण पुस्तिका

आवासन मण्डल की आवासीय योजना, आवासों एंव पंजीकरण संबधी नियमों की जानकारी प्रदान करने हेतु पंजीकरण पुस्तिका का प्रकाशन किया जाता है। पंजीकरण पुस्तिका का विक्रय मूल्य रू 300.00 निर्धारित है।

## 3.2 पंजीकरण की प्रोसेसिंग फीस

आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में विभिन्न आय वर्ग के आवेदकों के पंजीकरण हेतु प्रोसेसिंग फीस निम्नानुसार निर्धारित की गयी है:–

| आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग | अल्प आय वर्ग | मध्यम आय वर्ग (अ) | मध्यम आय वर्ग (ब) | उच्च आय वर्ग |
|---|---|---|---|---|
| रू 500.00 | रू 700.00 | रू1000.00 | रू 1500.00 | रू 2000.00 |

उपरोक्तानुसार वसूल की गयी प्रोसेसिग फीस पुर्नभुगतान/समायोजन योग्य नहीं है।

## 3.3 आयवर्ग एंव पंजीकरण राशि

आवास लेने का इच्छुक कोई भी भारतीय नागरिक, मण्डल में पंजीकरण करा सकता है। विभिन्न आय वर्ग के मकानों के लिए सामान्य एवं विशिष्ट पंजीकरण योजना में आय सीमा एंव पंजीकरण राशि निम्नानुसार है :–

(अ) सामान्य एवं विशिष्ट पंजीकरण योजना के आवेदकों हेतु

| क्र. सं. | आय वर्ग | वार्षिक आय (रू) | पंजीकरण राशि (रू) |
|---|---|---|---|
| 1. | आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग | 1,00,000/- | 7,000 |
| 2. | अल्प आय वर्ग | 1,00,001 से 2,50,000 तक | 15,000 |
| 3. | मध्यम आय वर्ग "अ" | 2,50,001 से 4,50,000 तक | 50,000 |
| 4. | मध्यम आय वर्ग "ब" | 4,50,001 से 6,00,000 तक | 80,000 |
| 5. | उच्च आय वर्ग | 6,00,001 एवं अधिक | 1,20,000 |

**(ब) स्ववित्त पोषित योजना के आवेदकों हेतु**

स्ववित्त पोषित योजना में आवेदन करने वाले आवेदकों से पंजीकरण राशि आवास की लागत की 10 प्रतिशत लिये जाने का प्रावधान है। मण्डल की आवासीय योजनाओं में आवास आवंटन हेतु पंजीकरण कराने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आवेदकों को पंजीकरण राशि की 50 प्रतिशत राशि पर पंजीकरण की रियायत दी गई है।

## 3.4 पंजीकृत आवेदकों के मूल आय वर्ग में परिवर्तन के प्रावधान

बहुमंजिले आवासों के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान तय किये गये हैं :-

1. बहुमंजिले आवासों के पंजीकरण हेतु आवेदक के मूल आयवर्ग से दो आयवर्ग नीचे अथवा दो आयवर्ग ऊपर के आवास हेतु पंजीकरण करवाये जा सकेगें।
2. आयवर्ग से ऊपर के आवासों के पंजीकरण नकद भुगतान पद्धति पर भी मान्य होगें।
3. आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आयवर्ग के आवासों हेतु मध्यम आयवर्ग (ब) व उच्च आयवर्ग के आवेदक आवेदन नहीं कर सकेंगे तथा पात्रता आयवर्ग से नीचे की श्रेणी में आवेदन करने पर मूल पात्रता के आवेदक को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।
4. पंजीकरण राशि आवास के आयवर्ग अनुसार ली जायेगी।

## 3.5 पंजीकरण राशि पर निम्नलिखित दर से ब्याज देय है :-

लागत सिद्धान्त-2010 के अनुसार पंजीकरण एवं पूर्व ग्रहण राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक अथवा आवंटन पत्र जारी होने की तिथी को लागू ब्याज देय होगा। स्ववित्त पोषित योजना के आवेदकों को ब्याज देय नहीं होगा।

3.6 आवेदकों को पंजीकरण राशि वापिस लेने की सुविधा मण्डल ने दे रखी है। पंजीकरण की तिथि के डेढ़ वर्ष के बाद पंजीकरण राशि ब्याज सहित वापिस ली जा सकती है लेकिन आरक्षण पत्र जारी होने के बाद आरक्षण राशि जमा नहीं करवाने एवं आवास आवंटन के बाद राशि जमा नहीं करवाने एवं आवास नहीं लेने के कारण पंजीकरण निरस्त किया जाता है तो पंजीकरण राशि 20 प्रतिशत काटकर शेष राशि बिना ब्याज के भुगतान कर दी जाती है।

3.7 पंजीकरण का हस्तांतरण

(अ) मण्डल की आवासीय योजनाओं में पंजीकृत आवेदक द्वारा अपने निकट सम्बन्धियों के नाम हस्तांतरण, मूल आवंटी की मृत्यु के उपरान्त वैधानिक उत्तराधिकारी के नाम हस्तांतरण, किराया क्रय पद्धति से नगद भुगतान में पंजीकरण हस्तांतरण एवं मण्डल से पंजीयन (रजिस्ट्री) के उपरान्त अन्य क्रेता द्वारा मण्डल के रिकॉर्ड में अपना नाम परिवर्तन इत्यादि हेतु प्रशासनिक शुल्क निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :–

- मूल आवंटी के नाम के साथ निकट सम्बन्धी के नाम जोड़ने के सभी आय वर्ग के प्रकरणों में रू. 2000/–प्रति प्रकरण प्रक्रिया शुल्क वसूलनीय होगा।
- मूल आवंटी की मृत्यु होने पर उसके वैधानिक उत्तराधिकारियों के नाम प्रतिस्थापित करने पर सभी आय वर्गों के प्रकरणों में रू. 2000/– प्रति प्रकरण प्रक्रिया शुल्क वसूलनीय होगा।
- किराया क्रय पद्धति से नकद भुगतान पद्धति के पंजीकरण/आवंटन को निकट सम्बन्धियों के नाम हस्तांतरण शुल्क में आंशिक संशोधन करते हुये निम्नानुसार शुल्क वसूलनीय होगा :–

| आ.दृ.क. आय वर्ग | अल्प आय वर्ग | मध्यम आय वर्ग–अ | मध्यम आय वर्ग–ब | उच्च आय वर्ग |
|---|---|---|---|---|
| 500/–रू. | 500/–रू. | 1000/–रू. | 2500/–रू. | 5000/–रू. |

- प्रथम पंजीयन के उपरान्त अनुवर्ती पंजीयन करवाकर बोर्ड के रिकार्ड में नाम परिवर्तन कराने पर पश्चातवर्ती पंजीयन के आधार पर प्रशासनिक शुल्क आंशिक संशोधन करते हुये निम्नानुसार शुल्क वसूलनीय होगा :–

| आ.दृ.क. आय वर्ग | अल्प आय वर्ग | मध्यम आय वर्ग–अ | मध्यम आय वर्ग–ब | उच्च आय वर्ग |
|---|---|---|---|---|
| 5000/–रू. | 5000/–रू. | 10000/–रू. | 15000/–रू. | 20,000/–रू. |

- विधिक प्रभार–मण्डल की आवासीय योजनाओं के विभिन्न आवंटियों द्वारा दायर विभिन्न कोर्ट केसेज में मण्डल द्वारा वहन किये जा रहे व्यय के मद्देनजर प्रत्येक आवास, भूखण्ड प्लिन्थ, वाणिज्यिक भूखण्ड, संस्थानिक भूखण्ड के आवंटन पत्रों में निम्नानुसार विधिक शुल्क वसूलनीय होगा :–

| आ.दृ.क. आय वर्ग | अल्प आय वर्ग | मध्यम आय वर्ग–अ | मध्यम आय वर्ग–ब | उच्च आय वर्ग |
|---|---|---|---|---|
| 200 / –रू. | 300 / –रू. | 500 / –रू. | 1000 / –रू. | 2,000 / –रू. |

| संस्थानिक आवंटन | वाणिज्यिक निर्मित दुकान | वाणिज्यिक भूखण्ड 100 वर्गमीटर तक | वाणिज्यिक भूखण्ड 100 वर्ग मी. से अधिक |
|---|---|---|---|
| 200 / –रू. | 300 / –रू. | 500 / –रू. | 1000 / –रू. |

(ब) **मृत्यु उपरान्त पंजीकरण / आवंटन हस्तानान्तरण** : पंजीकृत आवेदक / आवंटी की मृत्यु के उपरान्त उसके वैधानिक उत्तराधिकारी के नाम पंजीकरण / आवंटन के हस्तांतरण हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का प्रावधान विहित है :–

1. ऐसे पंजीकृत आवेदक / आंवटी जिन्होंने आवेदन पत्र में प्राथमिकता के आधार पर उनकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में पंजीकरण / आवंटन का हस्तांतरण करने हेतु किसी व्यक्ति को मनोनीत किया हुआ है तो ऐसे प्रकरणों में मनोनयन के आधार पर आवेदक / आवंटी की मृत्यु के पश्चात उसके पंजीकरण / आवंटन का हस्तानान्तरण नियमानुसार औपचारिकता पूर्ण करने पर किया जाएगा।

2. जिन प्रकरणों में आवेदक / आवंटी द्वारा उनकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में पंजीकरण / आवंटन के हस्तान्तरण हेतु किसी का मनोनयन नहीं किया गया है, उनमें आवेदक / आवंटी की मृत्यु के पश्चात पंजीकरण / आवंटन का हस्तान्तरण केवल आवेदक के पति / पत्नि या पति–पत्नि के माता–पिता, भाई–बहिन, पुत्र–पुत्री, पुत्रवधु–दामाद को ही नियमानुसार औपचारिकता पूर्ण करने पर किया जाएगा।

3. ऐसे पंजीकृत आवेदक / आवंटी जिन्होंने आवेदन पत्र में उनकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में पंजीकरण / आवंटन का हस्तान्तरण करने के लिये किसी का मनोनयन किया हुआ है किन्तु उसकी मृत्यु के उपरान्त मनोनीत उत्तराधिकारियों सहित अन्य प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों द्वारा पंजीकरण / आवंटन का हस्तान्तरण किसी अन्य उत्तराधिकारी के नाम चाहा

जा रहा है तो ऐसी स्थिति में मनोनीत उत्तराधिकारी द्वारा अपने अधिकारों का त्याग कर नियमानुसार वांछित प्रपत्र में उस उत्तराधिकारी के नाम पंजीकरण/आवंटन का हस्तान्तरण करने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर भी किया जा सकेगा। किन्तु प्रत्येक स्थिति में पंजीकरण का हस्तान्तरण केवल पंजीकृत आवेदक/आवंटी के पति–पत्नि, पति/पत्नि के माता–पिता, भाई–बहिन, पुत्र–पुत्री, पुत्रवधु–दामाद को ही नियमानुसार औपचारिकता पूर्ण करने पर किया जा सकेगा।

4. पंजीकरण/आवंटन/हस्तान्तरण हेतु सम्बन्धित वृत्त के उप आवासन आयुक्त सक्षम अधिकारी होंगे। यदि किन्ही मामलों में वैधानिक कठिनाई एवं विशेष परिस्थितियां हो तो ऐसे मामले विधि प्रकोष्ठ के माध्यम से मुख्यालय की अनुमति हेतु प्रेषित किये जायेंगे।

3.8 कुल उपलब्ध आवासों में से 45 प्रतिशत आवासों का आवंटन नकद भुगतान पद्धति से किया जाता है तथा 55 प्रतिशत आवासों का आवंटन किराया क्रय पद्धति से किया जाता है, यदि नकद भुगतान पद्धति के आवेदक 45 प्रतिशत से कम रहते हैं तो शेष आवास किराया क्रय पद्धति के आधार पर या नीलामी द्वारा या जैसा भी मण्डल निश्चय करे, उसके अनुसार आवंटित किये जाते है।

**3.9 निःशक्तजन (विकलांग) श्रेणी के आवेदकों को बहुमंजिलीय योजनाओं में आवास आवंटन प्रक्रिया में संशोधन :–**

मण्डल की विभिन्न बहुमंजिलीय आवासीय योजनाओं में निर्मित फ्लैटों में निःशक्तजन (विकलांग) आवेदकों को भूतल पर ही आवास आवंटन किये जाने का प्रावधान आदेश क्रमांक प. विकलांग/आवास आवंटन/मुसप्र/ 2010/644 दिनांक 07.06.2010 द्वारा जारी किया गया था। चूंकि वर्तमान में मण्डल द्वारा कई बहुमंजिलीय आवासीय योजनाए निर्मित की जा रही है जिनमें भूतल पर आवास न होकर स्टील्ट पार्किंग की व्यवस्था है।

अतः उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये संशोधित आदेश क्रमांक प. /विकलांग/आवास आवंटन/मुसप्र/2014/1143 दिनांक 25.11.2014 के अनुसार ऐसी बहुमंजिलीय आवासीय योजनाऐं जिनमें स्टील्ट पार्किंग की व्यवस्था है उनमें निःशक्तजन (विकलांग) श्रेणी के आवेदकों के लिये पृथक से निर्धारित आरक्षण के अनुरूप प्रथमतः लॉटरी आयोजित की जाकर प्रथम तल पर फ्लैटों को आवंटन किया जायेगा एवं इसके उपरान्त शेष बचे फ्लैट्स की लॉटरी द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार शेष आवेदकों को फ्लैटों को आवंटन किया जायेगा। जिन बहुमंजिलीय

आवासीय योजनाओं में भूतल पर पार्किंग की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है उनमें पूर्ववत जारी आदेश दिनांक 07.06.2010 के प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।

### 3.10 सामान्य एवं विशिष्ट पंजीकरण योजना के आवासों हेतु पूर्व ग्रहण राशि जमा कराने के प्रावधान

इस योजना में आवास आवंटन से पूर्व आवेदकों को अपने आय वर्ग के अनुसार आवास आरक्षित करने हेतु पूर्वग्रहण राशि तीन किश्तों में जमा करानी होती है। प्रथम किश्त, पूर्वग्रहण राशि पत्र जारी होने की तारीख से एक माह के अन्दर एवं दूसरी किश्त उसी पत्र के जारी होने की तारीख के 4 माह के अन्दर तथा तीसरी किश्त का भुगतान उसी पत्र के जारी होने की तारीख से 7 माह के अन्दर या आवास आवंटन के समय जो भी पहले हो, जमा करानी पड़ती है। इस हेतु निम्नानुसार राशि वसूलने का प्रावधान किया गया है :-

| क्र. सं. | आय वर्ग | पूर्वग्रहण राशि किश्त | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रथम | द्वितीय | तृतीय | योग |
| 1. | आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 |
| 2. | अल्प आय वर्ग | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
| 3. | मध्यम आय वर्ग "अ" | 40,000 | 30,000 | 30,000 | 1,00,000 |
| 4. | मध्यम आय वर्ग "ब" | 70,000 | 70,000 | 60,000 | 2,00,000 |
| 5. | उच्च आय वर्ग | 1,00,000 | 1,00,000 | 1,00,000 | 3,00,000 |

### 3.11 स्ववित्त पोषित योजना के आवासों हेतु आरक्षण राशि जमा कराने के प्रावधान :-

स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग "अ", "ब" एवं उच्च आय वर्ग श्रेणी आवासों के निर्माण हेतु जो आवेदक अपनी स्वयं की पूंजी लगाकर मण्डल से शीघ्र आवास प्राप्त करना चाहते है, ऐसे आवेदकों के लिये भूमि की उपलब्धता के अनुसार आवासीय योजनाऐं बनाई जाकर पंजीकरण किये जाते है। इन योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित होने वाले आवासों की लागत आवेदकों से 10 प्रतिशत राशि पंजीकरण के समय एवं शेष 90 प्रतिशत राशि योजना के निर्माण का कार्यादेश जारी करने के पश्चात् आरक्षण पत्र जारी करते हुए निम्नानुसार ली जाती है :-

| क्र. सं. | आवासों का प्रकार | पंजीकरण राशि | आरक्षण पत्र के पश्चात् प्राप्त की जानी वाली राशि | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | किस्त | समयावधि | राशि |
| 1. | स्वतंत्र आवास | 10.00 % | प्रथम<br>द्वितीय<br>तृतीय<br>चतुर्थ | 1 माह<br>4 माह<br>7 माह<br>10 माह | 22.5 %<br>22.5 %<br>22.5 %<br>22.5 % |
| 2. | बहुमंजिले आवास | 10.00 % | प्रथम<br>द्वितीय<br>तृतीय<br>चतुर्थ<br>पंचम्<br>षष्ठम<br>सप्तम् | 1 माह<br>4 माह<br>7 माह<br>10 माह<br>13 माह<br>16 माह<br>19 माह | 15.00 %<br>15.00 %<br>15.00 %<br>15.00 %<br>10.00 %<br>10.00 %<br>10.00 % |

इस योजना में निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु कार्यादेश जारी होते ही किश्तों का मांग पत्र (आरक्षण पत्र) जारी किया जायेगा। स्वतंत्र आवास के लिए निर्माण अवधि (प्रोजेक्ट पीरियड) 18 माह तथा फ्लेट हेतु निर्माण अवधि 30 माह निर्धारित है। निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने पर उपरोक्तानुसार निर्माण अवधि के पश्चात आवेदक की जमा राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से आवंटन पत्र जारी करने तक ब्याज देय होगा।

निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् आवेदक द्वारा वांछित राशि जमा नहीं कराने/पंजीकरण वापस लेने के फलस्वरूप पंजीकरण निरस्त होने की स्थिति में निर्माण कार्य की प्रगति रोकना संभव नहीं है। अतः स्ववित्त पोषित योजना के पंजीकरण निरस्तीकरण के संबंध में निम्न प्रावधान निर्धारित हैं :–

1. पूर्व पंजीकृत आवेदकों द्वारा स्ववित्त पोषित योजना का विकल्प देने के पश्चात् पंजीकरण निरस्तीकरण स्थिति में आवेदक का मूल पंजीकरण भी निरस्त किया जायेगा।
2. पंजीकरण निरस्तीकरण की स्थिति में आवेदक की जमा राशि में से निम्नानुसार राशि की कटौती की जायेगी :–
   (i) वरीयता निर्धारण से पूर्व कोई कटौती नहीं की जायेगी लेकिन जमा राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।
   (ii) वरीयता निर्धारण के पश्चात् पंजीकरण राशि में 5 प्रतिशत की कटौती की जायेगी तथा पंजीकरण राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।

पंजीकरण के 18 माह तक अगर मण्डल आवासों का निर्माण प्रारम्भ नहीं करता है तो सम्पूर्ण राशि मय ब्याज लौटायी जायेगी।

(iii) आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात् पंजीकरण राशि की 20 प्रतिशत राशि की कटौती की जायेगी तथा जमा राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।

(iv) आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात किश्त जमा कराने की तिथि के बाद समस्त देय राशि की 20 प्रतिशत राशि कटौती की जायेगी तथा जमा राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।

उपरोक्त प्रावधानों में किसी भी अवस्था में अधिकतम कटौती पंजीकरण राशि तक सीमित होगी।

मण्डल में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत विभिन्न आय वर्गो हेतु नवीन पंजीकरण योजनाए ऑन लाईन प्रारम्भ की गई है। मण्डल में स्ववित्त पोषित योजना में आदेश क्रमांक मुसप्र/2009/481 दिनांक 29.06.2009 अनुसार आवास/फ्लैट की अनुमानित लागत का 10 प्रतिशत राशि पंजीकरण के रूप में जमा करवाने का प्रावधान है। अतः ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन के अन्तर्गत स्ववित्त पोषित योजना में जिनमें पंजीकरण राशि मय प्रोसेसिंग राशि के 5.00 लाख रू. से अधिक है, उन आवेदकों को पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ पंजीयन राशि +प्रोसेसिंग चार्जेज सहित 5.00 लाख तक की राशि जमा करवाने की सुविधा मण्डल के आदेश क्रमांक मुसप्र/2015/1681 दिनांक 30.03.2015 द्वारा प्रदान की जाती है तथा शेष पंजीकरण राशि जो कि 5.00 लाख रू. से ज्यादा होगी आरक्षण पत्र में प्रथम किस्त के साथ जमा करवानी होगी।

### 3.12 आवास आवंटन प्रणाली

**वेब बेस्ड प्रणाली द्वारा आवास आवंटन** :–राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा वेब बेस्ड प्रणाली द्वारा आवास आवंटन की लॉटरी निकाली जा रही है। आवासों की लॉटरी के लिये राजकॉम्प द्वारा नया सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, जिसे स्टेट डेटा सेंटर (SDC) पर संधारित किया जा रहा है। लॉटरी आवंटन की सूचना मण्डल की वेबसाईट rhbonline.rajasthan.gov.in पर लॉटरी निकलने के तत्काल बाद पीडीएफ (Pdf) फार्मेट में अपलोड कर दी जाती है। सभी सफल आवंटियों को डाक द्वारा भी सूचना प्रेषित की जा रही है। राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवासों का आवंटन "डिस्पोजल ऑफ प्रोपर्टी रेग्यूलेशन्स–1970", "पंजीकरण और आवंटन की संशोधित प्रक्रिया 1981" एवं इस सम्बन्ध में जारी संशोधनों एवं परिपत्रों के तहत किया जाता है। पंजीकृत आवेदकों की वरीयता का निर्धारण पंजीकरण वर्ष, आय

वर्ग, भुगतान पद्धति के विकल्प तथा आरक्षित वर्ग अनुसार किया जाता हैं। आवासों का निर्माण शुरू होने पर वरीयतानुसार सामान्य एवं विशिष्ट पंजीकरण योजना के आवेदकों को आवास हेतु सीड मनी पत्र जारी कर पूर्व ग्रहण राशि एवं स्ववित्त पोषित योजना के आवेदकों को आरक्षण पत्र जारी कर आरक्षण राशि की मांग की जाती है।

### 3.13 वर्गवार आवास आरक्षण का प्रावधान

मण्डल द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं को देखते हुए निर्मित मकानों के आवंटन में आरक्षण का प्रावधान कार्यालय आदेश क्रमांक अ.मु.अ. (पीएण्डएम)/रा.आ.मं./2012/303 दिनांक 04.10.2012 द्वारा निम्नानुसार प्रभावी किया गया है :-

| क्र. सं. | वर्ग | आवेदक की श्रेणी | आरक्षित कोटा |
|---|---|---|---|
| 1. | जी-1 | **वैतनिक श्रेणी-प्रथम** (केन्द्र सरकार के कर्मचारी तथा केद्रीय एवं राज्य सरकार के बोर्ड/निगम के कर्मचारी/प्राईवेट सेक्टर में कार्यरत कर्मचारी कार्यरत कर्मचारी)<br>**वैतनिक श्रेणी-द्वितीय** (राज्य सरकार के कर्मचारी, अधिकारी) | 18.00 %<br>10.00 % |
| 2. | जी-2 | **सामान्य श्रेणी**<br>**प्रोफेशनल श्रेणी**<br>केवल प्रोफेशनल्स एडवोकेट, चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट एवं प्राईवेट डॉक्टर्स | 29.00 %<br>05 % |
| 3. | जी-3 | मण्डल कार्मिक (बोर्ड कर्मचारी) | 01 % |
| 4 | जी-4 | अनुसूचित जाति | 16 % |
| 5. | जी-5 | अनुसूचित जन जाति | 12 % |
| 6. | जी-6 | वर्तमान एवं भूतपूर्व विधायक/सांसद/अधिस्वीकृत पत्रकार | 1.5 % |
| 7. | जी-7 | स्वतंत्रता सैनानी | 0.5 % |
| 8. | जी-8 | भू. सैनिक एवं सैनिकों की विधवाएं | 03 % |
| 9. | जी-9 | विकलांग (अंधता/शारीरिक/मूक बधिर) | 01 %<br>01 %<br>01 % |
| 10. | जी-10 | वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिक एवं ऐशियाड/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी | 01 % |
| | | **योग** | 100.00 % |

### 3.14 पंजीकरण में आवेदक के निकट सम्बन्धी का नाम जोड़ने बाबत

किसी भी पंजीकृत आवेदक द्वारा आवेदन करने पर उसके पंजीकरण में उसकी इच्छानुसार आवेदक के पुत्र, पुत्री, पुत्रवधु, माता-पिता, भाई-बहन,

पति–पत्नी ही सम्मिलित किये जा सकेंगे। ये नाम आवास की रजिस्ट्री होने तक कभी भी जोड़े जा सकते हैं। इससे आवेदक को आवास हेतु वित्तीय संस्थाओं से पर्याप्त ऋण आसानी से प्राप्त हो सकेंगे तथा आवेदक को मण्डल का आवास प्राप्त करने के लिए धन की व्यवस्था करने में सुविधा होगी।

### 3.15 भुगतान पद्धति में परिवर्तन के सम्बन्ध में

मण्डल में नियमानुसार किराया क्रय पद्धति में पंजीकृत आवेदकों को पंजीकरण नकद भुगतान पद्धति में कराने की सुविधा है, किन्तु इसके विपरित नकद भुगतान पद्धति से किराया क्रय पद्धति में परिवर्तन पूर्णतया प्रतिबंधित है।

### 3.16 किश्तों पर देय ब्याज दर

आवासन मण्डल द्वारा विभिन्न आयवर्गों के आवंटित आवासों के आवंटियों से लागत में प्रभारित की जा रही एवं किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत आवंटित आवासों के आवंटियों से वसूली जाने वाली ब्याज दर निम्न प्रकार है :–

| क्र. सं. | आय वर्ग | ब्याज दर प्रतिशत | मासिक किश्तों की अवधि |
|---|---|---|---|
| 1. | आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग | 9.00% | 240 माह |
| 2. | अल्प आय वर्ग | 12.00% | 240 माह |
| 3. | मध्यम आय वर्ग (अ) | 12.75% | 156 माह |
| 4. | मध्यम आय वर्ग (ब) | 13.25% | 156 माह |
| 5. | उच्च आय वर्ग | 13.75% | 156 माह |

विभिन्न आयवर्गो के आवंटित आवासों पर परियोजना अवधि पर लिये जाने वाले ब्याज तथा किराया क्रय पद्धति में आवंटित आवासों के आवंटियों से वसूल किये जा रहे ब्याज की दर कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 2(3)लागत / 1017 / 1097 दिनांक 23.12.2015 द्वारा दिनांक 1.10.2015 के बाद प्रारम्भ होने वाली नवीन पंजीकरण योजनाओं के लिए निम्नानुसार संशोधित की गयी है:–

| क्र. सं. | आय वर्ग | पूर्व में प्रभावित ब्याज दर | संशोधित ब्याज दर |
|---|---|---|---|
| 1. | आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग | 9.00% | 8.00% |
| 2. | अल्प आय वर्ग | 12.00% | 9.00% |
| 3. | मध्यम आय वर्ग (अ) | 12.75% | 10.00% |
| 4. | मध्यम आय वर्ग (ब) | 13.25% | 11.00% |
| 5. | उच्च आय वर्ग / एसएफएस | 13.75% | 12.00% |

## 4. गुणवत्ता नियंत्रण

गुणवत्ता नियंत्रण हेतु वृत्त कार्यालयों/खण्ड कार्यालयों के अधीन नियमित रूप से निर्माण सामग्री के परीक्षण हेतु प्रयोगशालाएँ स्थापित है तथा खण्ड कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा समय–समय पर निर्माण सामग्री के नमूने लिये जाकर उनका स्थापित मापदण्डानुसार परीक्षण किया जाता है। मण्डल द्वारा विभिन्न भवन निर्माण सामग्री के नमूनों का परीक्षण सरकारी अभियान्त्रिकी महाविद्यालयों, भारत सरकार द्वारा स्थापित NABL स्वीकृत प्रयोगशालाओं से करवाया जाता है। परीक्षण उपरान्त नमूनों का निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

गुणवत्ता के निर्धारित मापदण्डों को सुनिश्चित करने के लिए मण्डल मुख्यालय पर पृथक से एक उप आवासन आयुक्त स्तर के अधिकारी कार्यरत है, जिनके अधीन दो आवासीय अभियंता जयपुर में तथा एक आवासीय अभियंता जोधपुर में मय अन्य तकनीकी अधिकारी/कर्मचारी के साथ पदस्थापित है जो स्तवंत्र रूप से अपने स्तर पर भी निर्माण सामग्री के नमूने एकत्रित कर पृथक से स्थापित प्रयोगशाला में स्वतंत्र तरीके से परीक्षण करते हैं। इनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में माह दिसम्बर–2015 तक विभिन्न निर्माण स्थलों से भवन निर्माण सामग्री के कुल 2880 नमूने लिये गये जिसमें से परीक्षण उपरान्त 2736 नमूने निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप पाये गये एवं शेष 144 नमूनों पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

गुणवता नियन्त्रण के परिप्रेक्ष्य में मण्डल द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक मुअ–मु/राआम/933 दिनांक 04.11.15 जारी किया गया है। इसके अनुसार मण्डल के परिपत्र क्रमांक मुअ/गु.नि/2013/65 दिनांक 26.06.13 द्वारा रू 500.00 लाख व इससे अधिक की राशि की आवासीय परियोजनाओं सहित कतिपय अन्य विकास कार्यो से संबधित परियोजनाओं के अन्तर्गत निर्माण कार्यो की तृतीय पक्ष द्वारा स्वतंत्र निरीक्षण किये जाने की प्रतिपादित व्यवस्था के अतिरिक्त समस्त वृत्तों के क्षेत्राधिकार में वर्तमान में प्रगतिरत विभिन्न प्रकृति की समस्त निमार्ण परियोजना में चल रहे निर्माण कार्यो के तृतीय पक्ष से स्वतंत्र निरीक्षण करवाने हेतु संबधित अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता को अधिकृत किया गया है।स्वतंत्र जांचकर्ताओं द्वारा अपने स्तर से निरीक्षणाधीन निर्माण कार्य से आवश्यक सेम्पल लिये जाकर इनकी जांच NABL अनुमोदित प्रयोगशाला में करवाने के उपरान्त जांच परिणाम भी अपनी रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किये जावेगे। माह दिसम्बर 2015 तक तृतीय पक्ष

जॉचकर्ताओं द्वारा कुल 214 निर्माण स्थलों में से 129 का निरीक्षण किया जाकर 24 निर्माण कार्यो की परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है।

## 5. प्रभावी मॉनीटरिंग व्यवस्था

आवास निर्माण आरम्भ करना, पूर्ण करना, आवंटन व कब्जा देने सम्बन्धी समस्त कार्यवाही की समय–समय पर विभिन्न स्तरों पर समीक्षा की जाती है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक आवासीय अभियन्ता के कार्य की वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर मासिक/त्रैमासिक समीक्षा की जाती है। इसी प्रकार 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दिये गये लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु भी प्रतिमाह सम्बन्धित वृत्त/खण्ड अधिकारियों से सूचना प्राप्त कर समीक्षा की जाती है एवं प्रगति की समीक्षा हेतु मुख्यालय एवं वृत्त स्तर पर बैठकों का आयोजन भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त निर्माण कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु मण्डल के शीर्ष अधिकारियों द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार खण्ड कार्यालयों के अन्तर्गत सम्पादित किये जा रहे कार्यो का मौका निरीक्षण करते है।

## 6. मण्डल की कॉलोनियों में नागरिक सुविधाएँ

आवासन मण्डल द्वारा विकसित सभी योजनाओं में आवश्यक नागरिक सुविधाएँ जैसे सड़कें, विद्युत, जल वितरण, पाक्र व खुले मैदान व व्यावसायिक केन्द्र, सीवरेज व्यवस्था, रोड़ लाईट व्यवस्था, वृक्षारोपण, नालियों की व्यवस्था इत्यादि उपलब्ध कराई जाती है। मण्डल की आवासीय कालोनियों में अस्पताल, बैंक, डाकघर, स्कूल, कॉलेज आदि को भूमि आरक्षित कर इन संस्थाओं को मंडल के नियमानुसार भूमि उपलब्ध करायी जाती है। बोर्ड द्वारा सभी सुविधाएं प्रदान करने के बाद इन सुविधाओं के रख–रखाव एवं सफाई व्यवस्था हेतु कॉलोनियाँ स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित कर दी जाती है। आवासीय योजना की सुपुर्दगी के समय संबंधित स्थानीय निकाय एवं मण्डल की आपसी सहमति से इस हेतु उचित राशि का भुगतान संबंधित निकाय को मण्डल द्वारा किया जाता है।

## 7. प्रचार प्रसार

जन सम्पक्र प्रकोष्ठ द्वारा आवासन मण्डल की विभिन्न उपलब्धियों एवं भावी योजनाओं आदि से सम्बन्धित नवीनतम जानकारी प्रचार की विभिन्न विधाओं यथा दूरदर्शन, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों एवं मण्डल की वेबसाईट के माध्यम से जन साधारण को उपलब्ध करवायी जाती है।

8. राशि संग्रहण केन्द्रों की स्थापना

(अ) आवेदकों/आवंटियों की सुविधा के लिए निम्नाकिंत शहरों में आवासन मण्डल के **10 राशि संग्रहण केन्द्र** स्थापित हैं, जहॉं मण्डल द्वारा मांगी गई आवास आरक्षण/आवंटन हेतु वांछित राशि, मासिक किश्तें, लीज मनी इत्यादि जमा की जाती है।

(ब) खातों के रख–रखाव में सुगमता हेतु प्रत्येक वृत्त कार्यालय पर कम्प्यूटर स्थापित कर दिये गये हैं जिससे प्रत्येक दिन राशि संग्रहण केन्द्र पर एकत्रित की गई राशि का लेखा–जोखा कम्प्यूटर से तैयार कर लिया जाता है। इससे सभी केंद्रों पर एक दिन में एकत्रित की गई राशि की जानकारी उसी दिन हो जाती है।

**आवासन मण्डल के राशि संग्रहण केन्द्रों की सूची**

| क्र. सं. | शहर | काउन्टर न. | केन्द्र का पता |
|---|---|---|---|
| 1 | जयपुर | 9 | 1 उप आवासन आयुक्त, कार्यालय वृत्त प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, सैक्टर–5 प्रताप नगर, सांगानेर। |
| | | 8 | 2. थडी मार्केट, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर। |
| | | 10 | 3. (मुख्यालय परिसर) राजस्थान आवासन मण्डल, ज्योति नगर। |
| | | 5 | 4. सैक्टर–9 पानी की टंकी के पास, मालवीय नगर। |
| 2 | कोटा | 1 | उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल नगर विकास न्यास कार्यालय के पीछे, कोटा। |
| 3 | जोधपुर | 1 | 1. उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, कार्यालय वृत्त–प्रथम, सैक्टर–11, चौपासनी योजना राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर। |
| | | 2 | 2. आवासीय अभियन्ता, कार्यालय खण्ड द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल सैक्टर–4 कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर। |
| 4 | अलवर | 1 | उप आवासन आयुक्त,राजस्थान आवासन मण्डल, कार्यालय प्रतापनगर, सी.ई.बी.योजना बस स्टैण्ड के पीछे अलवर। |
| 5 | बीकानेर | 1 | 1. 3–घ–42, पवनपुरी आवासीय योजना, बीकानेर। |
| | | 2 | 2. उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, कार्यालय मुक्ता प्रसाद नगर बीकानेर। |

उपरोक्त राशि संग्रहण केन्द्रों के अतिरिक्त आवासन मण्डल द्वारा राज्य के विभिन्न शहर/कस्बों में राशि संग्रहण हेतु अधिकृत बैंकों की सूची दिनांक 31.12.2015 तक निम्नानुसार है :-

## (स) राशि संग्रहण हेतु अधिकृत बैंक

आवासन मण्डल द्वारा राज्य के विभिन्न शहर/कस्बों में राशि संग्रहण हेतु अधिकृत बैंकों की सूची निम्नलिखित है:-

| क्रम संख्या | वृत का नाम | शहर/कस्बा/ जिला | अधिकृत बैंक |
|---|---|---|---|
| 1 | वृत्त प्रथम, जयपुर | प्रताप नगर, जयपुर | सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, आई.सी.आई.सी.आई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक |
| 2 | वृत्त द्वितीय, जयपुर | जयपुर | आई.सी.आई.सी.आई बैंक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, |
| | | अजमेर | एचडीएफसी बैंक |
| | | नसीराबाद (अजमेर) | बैंक ऑफ बडौदा आई.सी.आई.सी.आई बैंक |
| | | सीकर | आई.सी.आई.सी.आई बैंक |
| | | चुरू | आई.सी.आई.सी.आई बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया |
| | | झून्झनू | आई.सी.आई.सी.आई बैंक |
| | | किशनगढ | सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, आई.सी.आई.सी.आई बैंक |
| | | ब्यावर | एचडीएफसी बैंक |
| 3 | वृत्त तृतीय, जयपुर | जयपुर | यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, एक्सीस बैंक |
| | | दौसा | सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, एक्सीस बैंक |
| | | सवाई माधोपुर | आई.सी.आई.सी.आई बैंक, एक्सीस बैंक |
| | | टौंक | आई.सी.आई.सी.आई बैंक, एक्सीस बैंक |
| | | कोटपूतली (जयपुर) | यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, एक्सीस बैंक |
| 4 | वृत्त प्रथम/द्वितीय, जोधपुर | जोधपुर | सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया |
| | | पाली | सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, |

| क्रम संख्या | वृत का नाम | शहर / कस्बा / जिला | अधिकृत बैंक |
|---|---|---|---|
| | | सुमेरपुर (पाली) | स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया |
| | | सिरोही | आई.सी.आई.सी.आई बैंक. |
| | | पिण्डवाडा (सिरोही) | स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर |
| | | आबूरोड (सिरोही) | आई.सी.आई.सी.आई बैंक. |
| | | बालोतरा (सिराही) | सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, |
| | | फलौदी (जोधपुर) | आई.सी.आई.सी.आई बैंक. |
| | | बाडमेर | यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया |
| | | जैसलमेर | यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया |
| 5 | कोटा | कोटा | यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया |
| | | बांरा | यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया |
| | | छीपाबडोद (बांरा) | सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, |
| | | अटरू (बांरा) | सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, |
| | | छबडा (बांरा) | सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, |
| | | बूंदी | आई.सी.आई.सी.आई बैंक. |
| | | भवानीमंडी (झालावाड) | सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, |
| | | रामगंजमंडी (कोटा) | आई.सी.आई.सी.आई बैंक.<br>सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, |
| | | झालावाड | यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया<br>आई.सी.आई.सी.आई बैंक. |
| | | अकलेरा | सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, |
| | | चौमेला | आई.सी.आई.सी.आई बैंक. |
| | | अन्ता | आई.सी.आई.सी.आई बैंक. |
| | | नैनवा (बूदी) | स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर |
| 6 | उदयपुर | उदयपुर | यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया |
| | | राजसमंद | आई.सी.आई.सी.आई बैंक. |

| क्रम संख्या | वृत का नाम | शहर / कस्बा / जिला | अधिकृत बैंक |
|---|---|---|---|
| | | | यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया |
| | | प्रतापगढ | बैंक ऑफ बडौदा |
| | | चित्तोडगढ | यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया |
| | | निम्बाहेडा (चित्तोडगढ) | आई.सी.आई.सी.आई बैंक.<br>बैंक ऑफ बडौदा |
| | | गुलाबपुरा (भीलवाडा) | बैंक ऑफ बडौदा |
| | | भीलवाडा | यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया<br>आई.सी.आई.सी.आई बैंक एवं एक्सीस बैंक |
| | | बांसवाडा | यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया |
| | | सागवाडा (डूंगरपुर) | आई.सी.आई.सी.आई बैंक. |
| | | परतापुर (बांसवाडा) | आई.सी.आई.सी.आई बैंक. |
| | | डूंगरपुर | यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया<br>आई.सी.आई.सी.आई बैंक. |
| | | भीण्डर (उदयपुर) | आई.सी.आई.सी.आई बैंक. |
| | | सलूम्बर (उदयपुर) | आई.सी.आई.सी.आई बैंक. |
| | | नाथद्वारा | आई.सी.आई.सी.आई बैंक. |
| 7 | अलवर | अलवर | यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया |
| | | भिवाडी (अलवर) | यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया |
| | | धौलपुर | सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, |
| | | भरतपुर | यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया |
| 8 | बीकानेर | बीकानेर | आई.सी.आई.सी.आई बैंक. |
| | | हनुमानगढ | सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, |
| | | सूरतगढ (श्रीगंगानगर) | आई.सी.आई.सी.आई बैंक |
| | | श्रीगंगानगर | यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया |
| | | नागौर | आई.सी.आई.सी.आई बैंक |

## 9. समस्याओं का समयबद्ध निराकरण

आम जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु मंडल मुख्यालय पर नागरिक सुविधा केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है, इसके अतिरिक्त सभी वृत्त कार्यालयों में भी शिकायतों के निरतारण हेतु पृथक से काउन्टर स्थापित किये गये है इनमें प्राप्त शिकायतों को समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाता है। इसके लिए मण्डल मुख्यालय पर माननीय अध्यक्ष महोदय एवं आवासन आयुक्त महोदय द्वारा

सुनवाई की जाती है एवं समस्त वृत्त कार्यालयों पर उप आवासन आयुक्त द्वारा, स्वतंत्र खण्ड कार्यालयों पर सम्बन्धित आवासीय अभियन्ता द्वारा सुनवाई की जाती है। आवंटी अपनी समस्या राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर भी दर्ज करा सकता है।

10. कम्प्यूटरीकरण

वर्तमान में आवासन मण्डल में कम्प्यूटर पर निम्नांकित कार्यों का सम्पादन किया जा रहा है:—

अ वित्त एवं लेखा कार्य

1 वार्षिक बजट

2 वेतन बिल, कटोती विवरण, वेतन स्थिरीकरण, बकाया भुगतान विवरण

3 मासिक खाते (मुख्यालय)

4 सामान्य भविष्य निधि लेखा

5 पेंशन सम्बन्धित कार्य

6 आयकर सम्बन्धित कार्य

7 आवंटियों से राशि संग्रहण का कार्य

8 आवंटी लेखा विवरण

ब आवासन कार्य

1 योजना/श्रेणीवार आवासों की वरीयता लॉटरी

2 आवास आवंटन लॉटरी

3 आवंटन पत्र

4 आवंटी की सूचनाओं सहित योजना का डेटा बेस

स विधिक कार्य

1 न्यायालय में लम्बित प्रकरणों का सूचीकरण (कार्यवाही प्रक्रियाधीन)

द संस्थापन कार्य

य योजनाओं के नक्शे एवं योजना सम्बन्धी कार्य

र नवीन आवासीय योजनाओं का ऑनलाईन पंजीकरण

11. भूमि अवाप्ति :—

मण्डल में वर्तमान में पंजीकृत आवेदकों को आवास उपलब्ध करवाने एवं भविष्य में आवासों की संभावित मांग को ध्यान में रखते हुए विभिन्न शहरों में भूमि अवाप्ति एवं आवंटन हेतु प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं। 31.12.2015 को धारा 4(1) के अन्तर्गत मण्डल स्तर पर **4831.335** हैक्टेयर (तालिका iv.a) एवं राज्य सरकार स्तर

पर **459.415** हैक्टेयर (तालिका iv.b) भूमि अवाप्ति के प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त विशेषाधिकारी स्तर पर **838.125** हैक्टेयर (तालिका iv.c) भूमि अवाप्ति के प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

## 12. भौतिक प्रगति

### 12.1 भौतिक प्रगति : वर्ष 2015–16 (माह दिसम्बर 2015 तक)

| क्र. सं. | गतिविधियां | | लक्ष्य | उपलब्धि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | नये मकान प्रारम्भ करना | | 8400 | 3308 |
| 2. | मकानों को पूर्ण करना | | 6809 | 2787 |
| 3. | मकानों का आवंटन | | 7874 | 3125 |
| 4. | मकानों का कब्जा देना | | 10290 | 4078 |
| 5. | 20 सूत्री कार्यक्रम–सूत्र 6 (21) (आवासों का निर्माण) | EWS | 848 | 111 |
| | | LIG | 1699 | 431 |
| 6. | 20 सूत्री कार्यक्रम–सूत्र 10 (34) (अनुसूचित जाति के आवेदकों को आवास आवंटन) | | 373 | 200 |

### 12.2 आदिनांक तक भौतिक प्रगति :

मण्डल की स्थापना से दिसम्बर, 2015 तक नये आवास प्रारम्भ/पूर्ण करने, आवंटन तथा कब्जा देने की वर्गवार स्थिति निम्न प्रकार है :–

| क्र. सं. | आय वर्ग | नये आवास प्रारम्भ | आवास पूर्ण | आवास आवंटित | आवासों के कब्जे |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग | 81192 | 77923 | 77812 | 71732 |
| 2. | अल्प आय वर्ग | 69514 | 64487 | 65731 | 59873 |
| 3. | मध्यम आय वर्ग –अ | 41736 | 39584 | 39909 | 36522 |
| 4. | मध्यम आय वर्ग– ब | 35642 | 34435 | 34702 | 32601 |
| 5. | उच्च आय वर्ग | 22040 | 21321 | 21187 | 20020 |
| | **योग** | **250124** | **237750** | **239341** | **220748** |

## 13. वित्तीय तथा भौतिक प्रगति के ग्राफ

### 13.1 निर्माण कार्यों पर व्यय

बोर्ड की स्थापना से लेकर दिसम्बर 2015 तक निर्माण कार्यों पर कुल रू. 6488.39 करोड़ व्यय किए गये है। वर्ष 2015–16 में दिसम्बर 2015 तक निर्माण कार्यो पर लक्ष्य रू. 1157.09 करोड के विरूद्ध माह दिसम्बर 2015 तक रू. 570.98 करोड़ व्यय किये गये।

चित्रसंख्या–1

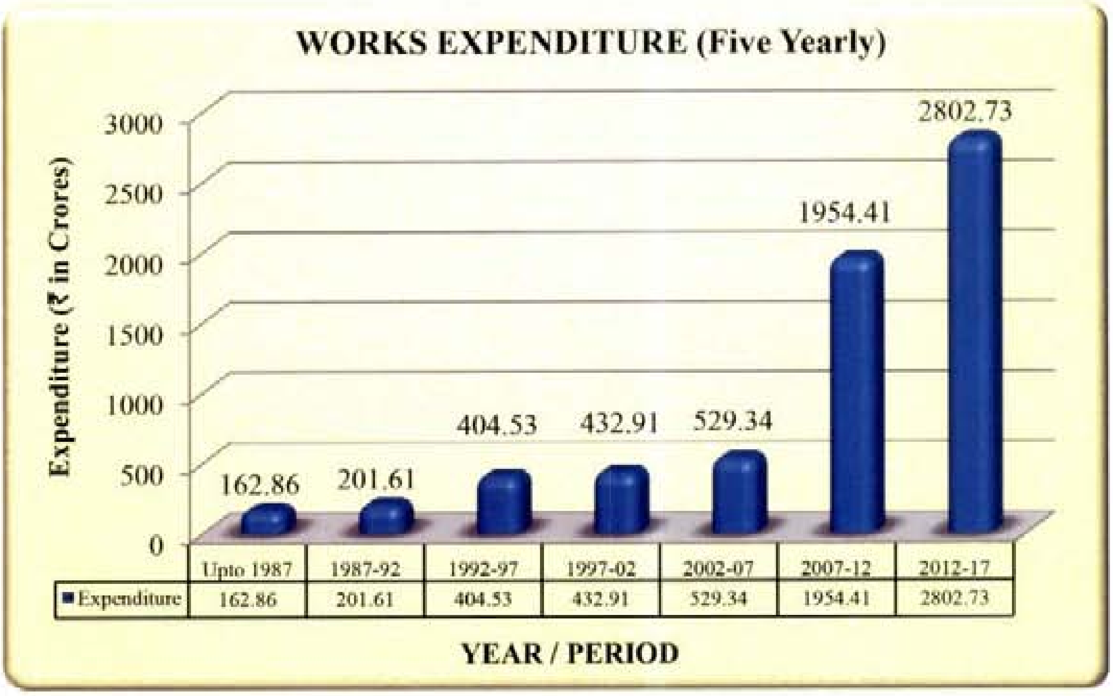


## 13.2 राजस्व प्राप्तियाँ

बोर्ड की स्थापना से लेकर दिसम्बर, 2015 तक Rs 9317.04 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई। वर्ष 2015–16 में राजस्व प्राप्तियों के लक्ष्य रू. 1292.92 करोड़ के विरूद्ध माह दिसम्बर, 2015 तक रू. 768.53 करोड़ प्राप्त हुये।

चित्र संख्या 2

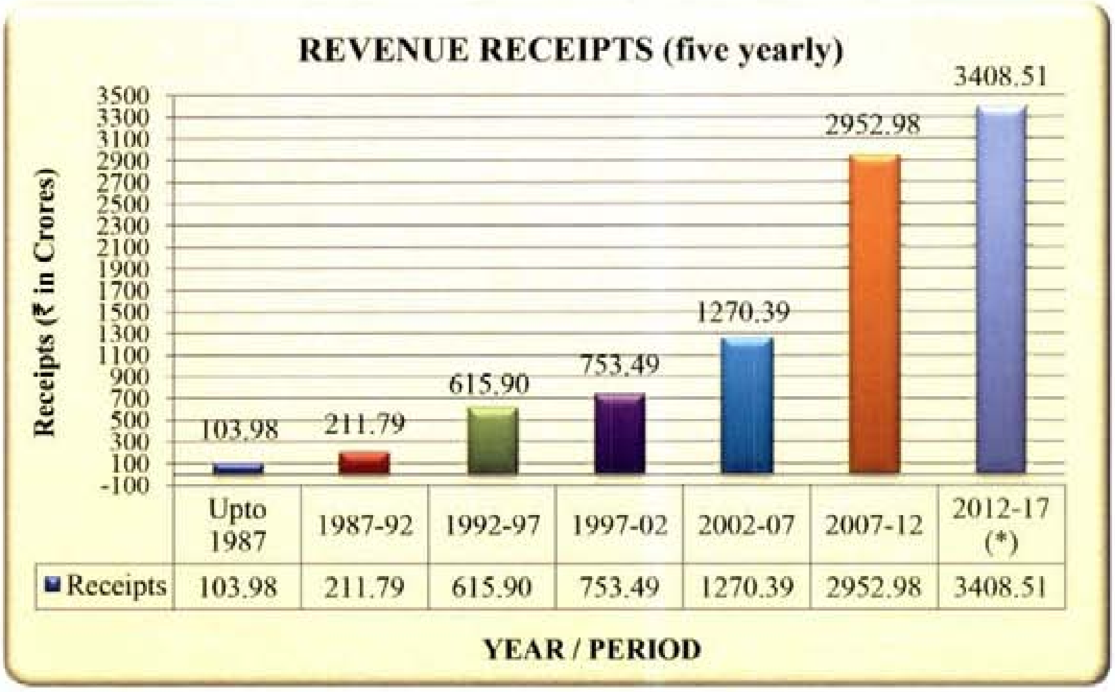

13.3

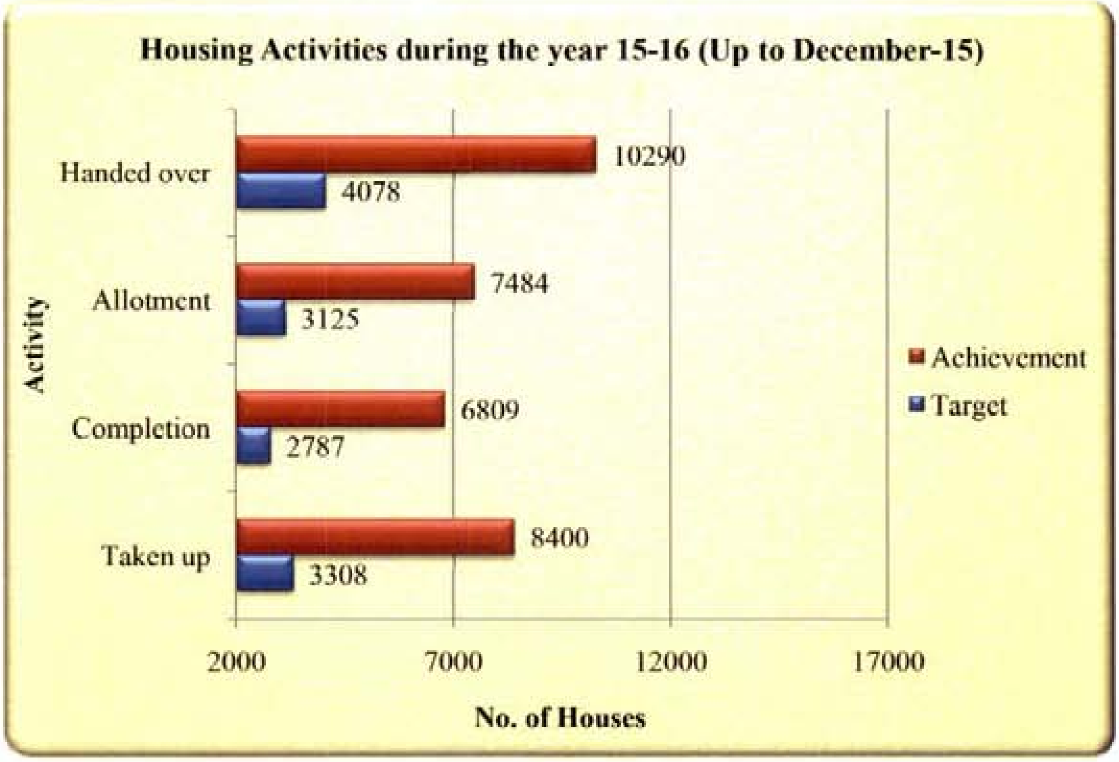


13.4

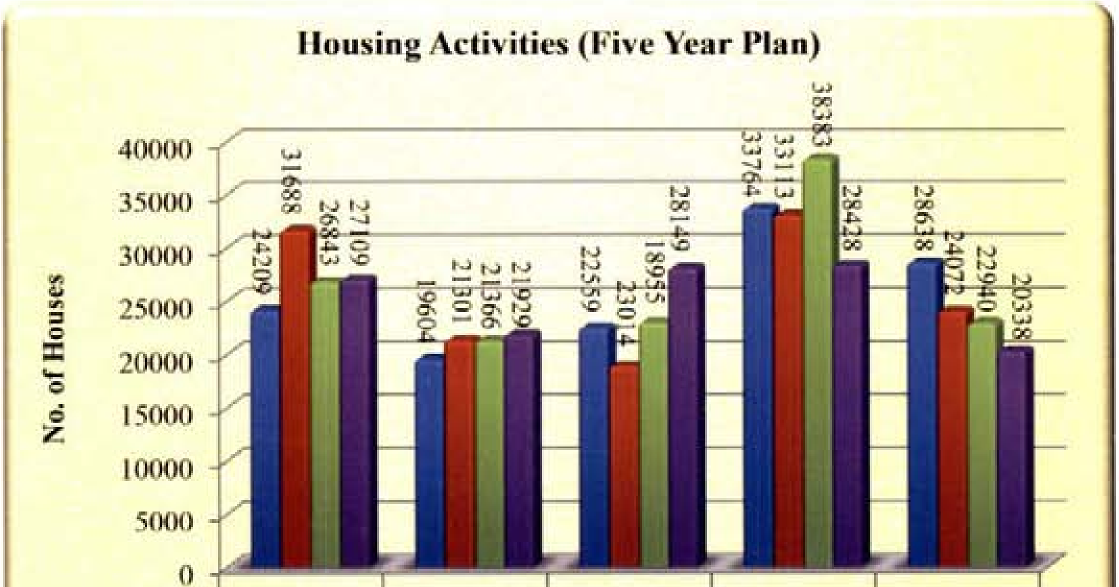


| | 92-97 | 97-02 | 02-07 | 07-12 | 12-17(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taken Up | 24209 | 19604 | 22559 | 33764 | 28638 |
| Completion | 31688 | 21366 | 18955 | 33113 | 24072 |
| Allotment | 26843 | 21301 | 23014 | 38383 | 22940 |
| Possession | 27109 | 21929 | 28149 | 28428 | 20338 |

* Up to Dec. 2015

Five Year Plans

13.5

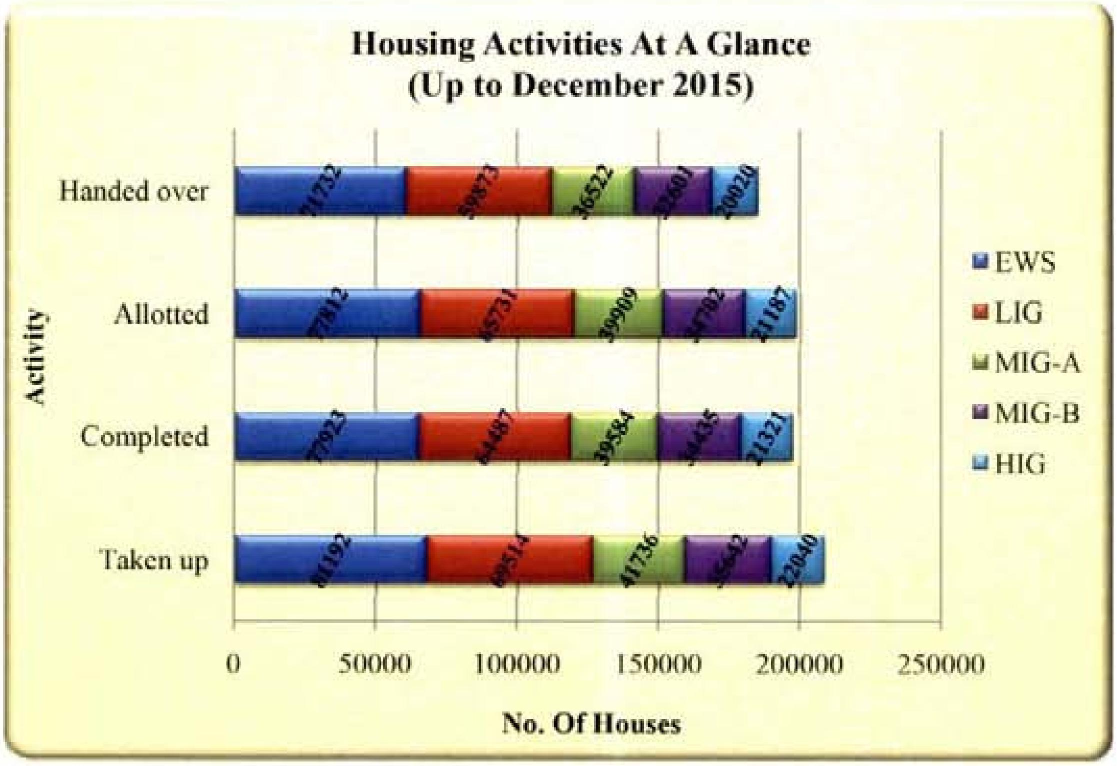
Housing Activities At A Glance
(Up to December 2015)
Handed over
Allotted
Completed
Taken up
Activity
71732
59873
36522
33601
20020
77812
65731
39909
34702
21187
77923
64487
39584
34435
21321
81192
69514
41736
35642
22040
EWS
LIG
MIG-A
MIG-B
HIG
0
50000
100000
150000
200000
250000
No. Of Houses

13.6

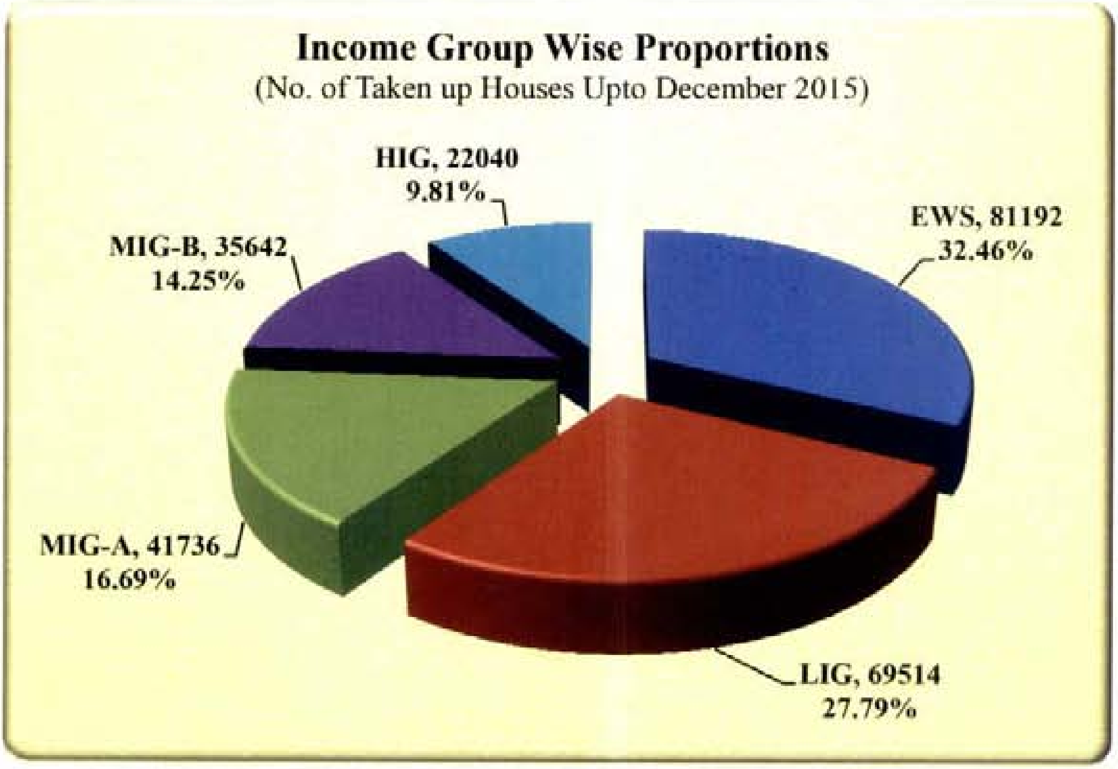
Income Group Wise Proportions
(No. of Taken up Houses Upto December 2015)
HIG, 22040
9.81%
EWS, 81192
32.46%
MIG-B, 35642
14.25%
MIG-A, 41736
16.69%
LIG, 69514
27.79%

14 अभिनव प्रयोग एवं नवाचार :–

- **आवासों की लागत में कमी–** राज्य सरकार के निर्देशानुसार मण्डल द्वारा सभी आय वर्गो के आवासों की लागत निर्धारण सिद्धान्तों में कमी हेतु गठित समिति की अनुशंसा अनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक प 2(3)लागत/1017/1097 दिनांक 23.12.2015 द्वारा नवीन पंजीकरण योजनाओं हेतु लागत सिद्धान्तों व प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। जिसके फलस्वरूप आवासों की लागत में लगभग 10 प्रतिशत तक कमी हुई है। लागत सिद्धान्तो में संशोधन के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैः–

  - विकसित भूमि दर गणना करते समय लिये जाने वाले वार्षिक ब्याज को 15 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है।
  - Contingency & Equalization Reserve (CER) को आवासों के वर्ग अनुसार एक से दो प्रतिशत तक कम किया गया है।
  - विभिन्न आयवर्गो के आवंटित आवासों पर परियोजना अवधि पर लिये जाने वाले ब्याज तथा किराया क्रय पद्धति में आवंटित आवासों के आवंटियों से वसूल किये जा रहे ब्याज को लगभग 1 से 3 प्रतिशत कम कर दिया गया है।
  - टी एण्ड पी/ रिसर्च एण्ड डवलपमेन्ट एंव गुणवता नियंत्रण मद में वास्तविक लागत गणना करते समय लिये जाने वाले चार्ज, जो पूर्व में 0.5 प्रतिशत था, को हटा दिया गया है।

- **ई डब्लयू एस/एल आई जी आवासों की लागत में कमी** ई डब्लयू एस/एल आई जी आवासों की लागत में कमी हेतु भूमि एवं विकास दर में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग हेतु मध्यम आय वर्ग "ब" व उच्च आय वर्ग से क्रॉस सब्सिडी को बढाकर क्रमशः 5 से 10 एवं 10 से 20 प्रतिशत कर दिया गया हैं। आवासन मण्डल द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग तथा अल्प आय वर्ग के आवेदकों को किराया क्रय पद्धति पर आवंटित आवासों के लिए आवास का कब्जा सुपुर्द करने तक जमा कराई जाने वाली राशि को 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है साथ ही इन दोनों वर्गो के लिए आवास की किश्तें चुकाने की अवधि को 15 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया गया है।

- **पहचान के प्रमाण** (KYC):– आवासन मण्ड़ल ने आवास आवंटन हेतु पूर्व पंजीकृत आवेदकों के लिये पहचान हेतु वांछित दस्तावेज अनिवार्य है। विभिन्न बैंक एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा उपभोक्ता की पहचान के लिये लागू के.वाई.सी. (KYC) नियमों को मण्डल में भी लागू किया जा चुका है। इसके अन्तर्गत सभी तरह के आवंटियों/आवेदकों को पहचान/पते के सबूत एवं नवीनतम फोटोग्राफ देने की अनिवार्यता कर दी गई है जिससे मूल आवेदक/आवंटी को आवास का आवंटन/कब्जा प्राप्त होता है।

- **पंजीकरण प्रपत्र का सरलीकरण–** आवासों/फलेटों के पंजीकरण हेतु पंजीकरण प्रपत्र को सरलीकृत कर दिया गया है इसके अन्तर्गत लॉटरी के पश्चात योग्य आवेदकों से ही आय प्रमाणपत्र, पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र आदि प्रपत्र लिये जाते है। पूर्व में ये सभी प्रपत्र नई योजना मे पंजीकरण हेतु भाग लेने वाले सभी आवेदको से लिये जाते थे।

- **आवास के कब्जा पत्र के साथ ही अदेय प्रमाण पत्र:–** आवंटियों की सुविधा हेतु मण्डल द्वारा नगद भुगतान पद्धति, स्ववित्त पोषित योजना तथा नीलामी से निस्तारित सभी सम्पत्तियों के अदेय प्रमाण पत्र कब्जा पत्र के साथ ही जारी किया जाता है।

- **मण्डल द्वारा पूर्ण निर्मित आवास:–** आवासीय योजनाओं में प्लिंथ लेवल/ढॉंचागत आवास निर्मित किये जाने के फलस्वरूप रहवास दर अत्यन्त कम होने के कारण योजनाओं का पूर्ण विकास नहीं हो पा रहा था। अतः आवासन मण्डल ने रहवास दर को बढ़ाने के लिये पूर्ण निर्मित आवास ही उपलब्ध कराए जा रहे है।

- **देखरेख योजना** (DRY):– आवास निर्माण के प्रारम्भिक चरण में ही आवेदक को आवास आवंटन किया जाता है ताकि आवंटी निर्माणाधीन आवास का अवलोकन कर निर्माण के दौरान अपने सुझाव दे सकें।

- **बहुमंजिली आवासीय योजनाओं में रेजीडेंन्ट वेलफेयर एसोशियसन का सरलीकरण:–** बहुमंजिलीय आवासीय योजनाओं में कब्जा देने के उपरान्त रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसायटी का गठन करवाया जाता है जिससे फ्लैटों की सामान्य सुविधाओं का रखरखाव सोसाइटी के माध्यम से सुचारू रूप से किया जा सके।

- **वर्षा जल संरक्षण हेतु प्रयासः–** प्रदेश की भीषण जल समस्या को दृष्टिगत रखते हुये आवासन मण्डल की बहुमंजिली आवासीय योजनाओं, वाणिज्यिक केन्द्रो, सामुदायिक भवनों, कार्यालयों एवं अन्य भवनों में "वर्षा जल संरक्षण संरचना" विकसित करना प्रारम्भ कर दिया है।

- **बिल्डिंग स्पेसिफिकेशन का स्टैन्डर्डाईजेशनः–** उचित मानदण्ड, उच्च गुणवत्ता एवं निर्माण में एकरूपता रखने के उद्देश्य से बिल्डिंग स्पेसिफिकेशन का स्टैन्डर्डाईजेशन करते हुए बुकलेट जारी की गई है।

- **आगन्तुक सुझाव पुस्तिकाः–** आम व्यक्ति, आवंटी तथा निर्माण विशेषज्ञ निर्माणाधीन कार्यो का अवलोकन करने हेतु स्वतंत्र हैं। कार्य के सम्बन्ध में अपने सुझावों एवं विचारों को रखने हेतु सुझाव पुस्तिका प्रत्येक निर्माण स्थल पर उपलब्ध कराई गई है। उचित एवं व्यावहारिक पाये गये सुझावों को निर्माणाधीन एवं भावी योजनाओं में यथा सम्भव समावेश करने का प्रयास किया जा रहा है।

- **सामुदायिक केन्द्रों के संचालन हेतु नियमावली का पुनः सरलीकरणः–** विभिन्न शहरों में मण्डल की आवासीय योजनाओं में निर्मित सांमुदायिक केन्द्रो के संचालन हेतु सम पारदर्शी प्रक्रिया/नियमावली का सरलीकरण किया गया है।

- **आवंटियों/आवेदकों की सुविधा के लिये पंजीकरण कार्य, रिफण्ड कार्य अब बैंकों के माध्यम से भी किया जाने लगा है।**

- **मॉडल हाऊस का निर्माणः–** मण्डल ने सभी नई आवासीय एकल एवं समूह आवास/अपार्टमेन्ट योजनाओं में प्रथमतः एक मॉडल हाऊस के निर्माण का निर्णय लिया है। जिसमें निर्माण की जाने वाली समस्त विशिष्टियों का समावेश किया जावेगा जिसे देखकर आवेदक आवंटित होने वाले अपने आवास की परिकल्पना कर सकता है।

- **पूर्ण एकीकृत कम्प्यूटराईजेशनः–** भारत सरकार के नेशनल ई–गर्वनेन्स प्लान (NeGP) के तहत आमजन की सुविधा व त्वरित सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिये तथा इसके लिये राज्य सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देशों की पालना में आवासन मण्डल की प्रक्रियाओं का कम्प्यूटराईजेशन किये जाने का निर्णय

लिया गया था। निर्णय की पालना में राज्य सरकार की कम्पनी राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लि. (RSIL) को रू. 948.64 लाख का कार्यादेश दिया गया है व वर्तमान में कम्प्यटरीकरण का कार्य प्रगति पर है मार्च 2016 तक मण्डल की कोर एक्टीविटी को कम्प्यूटरीकृत कर दिया जायेगा। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के उपरान्त मण्डल की 100 से अधिक आवासीय योजनाओं में दो लाख से अधिक आवंटी प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। आवंटी को अपने खाते से सम्बन्धित सूचना यथा बकाया राशि, आवेदन/पंजीकरण की वर्तमान स्थिति, नोड्यूज सर्टिफिकिट व रजिस्ट्री तथा मण्डल के कार्यकलापों की जानकारी के साथ–साथ आमजन की शिकायतों/सूचना के अधिकार के तहत चाही गई सूचनाओं के संप्रेषण में गति प्राप्त होगी।

इसके अतिरिक्त आवासन मण्डल के अधिकारियों को सूचना के त्वरित आदान–प्रदान हेतु विभागीय ई–मेल आईडी (rhbmail.in डोमेन पर) सुविधा **(तालिका VII)** उपलब्ध करवा दी गई है।

मण्डल की समस्त पत्रावलियों के कम्पयूटीकरण, बार–कोडिंग एवं ई–फाईलिंग विकसित करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

वरियता/आवास आवंटन लॉटरी के पश्चात सफल आवेदकों/आवंटियों की सूची को मण्डल की वेबसाईट पर प्रदर्शित कर दिया जाता है।

मण्डल के जयपुर स्थित सभी वृत कार्यालयों में आवासों/फलेटों के आवंटियों द्वारा जमा करायी जा रही राशि के कलेक्शन काउंटर्स को ऑनलाईन कर दिया गया है। इससे आवंटियों द्वारा जमा करायी जा रही राशि सीधे आंवटी के खाते में जमा हो रही है।

आवासन मण्डल के संशोधित कार्यालय आदेश क्रमांक मुअ–मु/राआम/2015/1120 दिनांक 28.12.2015 द्वारा मण्डल की निविदा पक्रिया में पारदर्शिता बढाने की दृष्टि से ई–टेन्डरिंग पद्धति से निविदा आमन्त्रण की पूर्व निर्धारित सीमा रू 25.00 लाख एंव इससे अधिक को संशोधित कर एतद्द्वारा रू 10.00 लाख एंव इससे अधिक किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी होगें। संबधित निविदाएँ राष्ट्रिय सूचना केन्द्र (NIC) के E-Procurement Portal के माध्यम से की जा रही

है तथा राज्य सरकार के आदेशानुसार मण्डल द्वारा रू 1.00 लाख से अधिक की निविदा की सूचना भी राज्य सरकार के पोर्टल SPPP पर डाली जा रही है।

- आवासन मण्डल की समस्त योजनाओं में अनिस्तारित सम्पत्तियों पर "आवासन मण्डल की सम्पति" के बोर्ड लगवाये गये जिसका मुख्य उद्देश्य मण्डल की सम्पत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त रखना है।

- राजस्थान आवासन मण्डल को प्रबन्धकीय कार्य गुणवता हेतु ISO 9001–2008 प्रमाण पत्र भी दिया गया है।

- अनुसूचित जाति / जनजाति के आवेदकों हेतु आवास आवंटन कोटा 8 व 6 प्रतिशत से बढाकर 16 व 12 प्रतिशत किया गया।

- स्ववित्त पोषित योजना के तहत आवासों के निर्माण बाबत जारी की जाने वाली पंजीकरण पुस्तिका में वर्णित लागत में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर आवंटी द्वारा यदि आवास निरस्त कराया जाता है तो सम्पूर्ण जमा राशि बिना कटौती 6 प्रतिशत ब्याज जोडते हुए आवंटी को लौटाये जाने का प्रावधान किया गया है।

- आवासन मण्डल की आवासीय योजना में उपलब्ध 4000.00 वर्गमीटर से अधिक की सम्पूर्ण भूमि (आवासीय, व्यावसायिक, संस्थानिक) का विवरण गूगल मैप सहित मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड कर दिया गया है। इसे आवासन मण्डल की वेबसाईट पर उपलब्ध Resurgent Rajasthan के Icon पर क्लिक कर देखा जा सकता है।

- मण्डल द्वारा नकद भुग्रतान पद्धति स्ववित पोषित योजना तथा नीलामी से निस्तारित सभी सम्पतियों के अदेय प्रमाण पत्र कब्जा पत्र के साथ ही उनके आवंटियों को जारी कर दिये जाते है।

- **ई–आक्शन** – शहरी क्षेत्रों में नीलामी योग्य भूमि का निरतारण ई–आक्शन द्वारा किये जाने हेतु भारत सरकार के उपक्रम एमएसटीसी लि. द्वारा करवाया जाना प्रक्रियाधीन है।

## 15. मण्डल की महत्त्वपूर्ण योजनाएँ –

### 15.1 मानसरोवर, जयपुर

शहर में आवास हेतु वर्ष 1979 से पंजीकृत आवेदकों के लिए मानसरोवर योजना बनाई गयी थी। इस योजना में दिसम्बर 2015 तक विभिन्न श्रेणी के 27930 आवासों का निर्माण प्रारम्भ किया गया जिसमें से 27508 आवासों का निर्माण पूर्ण कर 27066 आवास आवंटियों को हस्तांतरित किये जा चुके है।

**रामकृष्ण अपार्टमेंट** : शिप्रा पथ मानसरोवर में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग "ब" के कुल 180 फ्लैट्स (स्टिल्ट+9) का निर्माण कर 175 फ्लैट्स का आवंटन कर 121 फ्लैट्स के कब्जे दिये जा चुके है।

**द्वारका अपार्टमेंट** : पूर्व पंजीकृत आवेदको हेतु द्वारका पथ पर मानसरोवर में मध्यम आय वर्ग "ब" के 324 फ्लैट्स (स्टिल्ट+9) का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया था जिसमें से 216 निर्मित फ्लैट्स में से कुल 197 फ्लैट्स का आवंटन किया जा चुका है।

**अरावली अपार्टमेंट** : पूर्व पंजीकृत आवेदको हेतु स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत न्यू सांगानेर रोड, सेक्टर–8 में उच्च आय वर्ग के 104 फ्लैट्स (बेसमेंट+स्टिल्ट+13) फ्लैट्स का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसमें से 58 फ्लैट्स हेतु वरियता लॉटरी की जा चुकी है।

**बहुमंजिली स्ववित्त पोषित योजना** : 189 बहुमंजिले (B+S+12) स्ववित्त पोषित योजना 2012 एवं 2014 के अन्तर्गत द्वारका पथ पर 189 आवास नियोजित किये जाकर 96 आवासो का निर्माण कार्य मार्च 2015 में प्रारम्भ किया गया। साथ ही द्वारका पथ पर पूर्व पंजीकृत लम्बित आवेदको हेतु बहुमंजिले 72 उच्च आय वर्ग (B+S+9) के आवास नियोजित किये जाकर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

### 15.2 इंदिरा गांधी नगर योजना, जगतपुरा, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा जयपुर शहर में जवाहर नगर, मालवीय नगर, मानसरोवर व प्रताप नगर आदि विभिन्न योजनाऐं सफलतापूर्वक विकसित करने के उपरान्त जगतपुरा क्षेत्र में इन्दिरा गांधी नगर योजना प्रारम्भ की गई। इस योजना हेतु 468 हैक्टेयर भूमि अवाप्त कर 8912 आवासों का निर्माण प्रारम्भ किया गया। जिसमें से 7042 आवासों का कब्जा उनके आवंटियों को दिया जा चुका है। इस योजना में विभिन्न आय वर्गो के स्वतंत्र आवासों के साथ साथ बहुमंजिले

आवासों का भी निर्माण किया गया है। वर्तमान में इस क्षेत्र में निम्न आवासीय योजनाएँ निर्माणाधीन है :–

**1. अल्प आय वर्ग (जी+3) के 144 फ्लैट्स हेतु योजना।**

इन्दिरा गांधी नगर के सेक्टर 9 में अल्प आय वर्ग के 144 फ्लैट्स हेतु पंजीकरण वर्ष 2014 में किया गया था। 144 फ्लैट्स हेतु आवेदकों द्वारा मण्डल की योजना में उत्साह एवं रूझान दिखाया एवं 2293 पंजीकरण प्राप्त हुए थे। वर्तमान में यह योजना सेक्टर 9 में निर्माणाधीन है।

**2. मध्यम आय वर्ग "अ" (जी+3) के 208 फ्लैट्स हेतु योजना**

इन्दिरा गांधी नगर के सेक्टर 4, 5 व 7 में मध्यम आय वर्ग 'अ' के 208 फ्लैट्स हेतु पंजीकरण वर्ष 2014 में किया गया था। मण्डल की यह योजना भी आशानुरूप सफल रही एवं 208 फ्लैट्स हेतु 893 पंजीकरण प्राप्त हुए थे। वर्तमान में यह योजना सेक्टर 4, 5 एवं 7 में निर्माणाधीन है।

**3. मध्यम आय वर्ग "ब" (बी+एस+9) के 360 फ्लैट्स हेतु योजना**

इन्दिरा गांधी नगर के सेक्टर 8 में मध्यम आय वर्ग "ब" के बहुमंजिले 360 फ्लैट्स की स्ववित्त पोषित योजना निर्माणाधीन है। शीघ्र ही निर्माण पूर्ण कर फ्लैट्स का भौतिक कब्जा आवंटियों को संभलवाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जावेगी।

## 15.3 प्रताप नगर, सांगानेर (जयपुर) में चालू योजनाएं

प्रताप नगर सांगानेर (जयपुर) में दिसम्बर 2015 तक 36871 आवासों का निर्माण प्रारम्भ कर 32825 आवास पूर्ण किये गये है। इनमें से 29953 का भौतिक कब्जा आवंटियों को सौपा जा चुका है एवं वर्तमान में प्रतापनगर सांगानेर योजना में विभिन्न आय वर्ग के 4046 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2015–16 में 1256 नये आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने एवं 1800 आवास पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमें से 951 नये आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है व 573 आवास पूर्ण किये जा चुके है।

**राज आंगन** : अप्रवासी भारतीय/अप्रवासी राजस्थानियों के लिए एक विशिष्ट गृह योजना सैक्टर–24 में मण्डल द्वारा वर्ष 2000 में आरम्भ की गई थी जिसमें 303 विभिन्न श्रेणी के आवासों की टाउनशिप विकसित की जा रही है। यह योजना 57 हैक्टेयर्स में फैली हुई है। इस योजना के चारों तरफ 18 मीटर चौड़ी हरी घनी पट्टी विकसित की जा रही है। योजनान्तर्गत 303 आवास नियोजित किये गये थे

जिसमें से 301 पंजीकरण के विरूद्ध दिसम्बर, 2015 तक 293 आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 293 आवास पूर्ण किये जाकर 291 आवासों का कब्जा आवंटियों को सौपा जा चुका है।

**'प्रताप एन्क्लेव' योजना** : राज आंगन परियोजना में राज्य के स्थानीय आवेदकों के रूझान को देखते हुए उच्च आय वर्ग के आवेदकों के लिए स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 240 विशिष्ट मापदण्डों के आधुनिक आवासों की एक अन्य योजना 'तक्षक' का शुभारम्भ सेक्टर–25 में 16 फरवरी, 2005 को किया गया था, जिसका नाम परिवर्तित कर 'प्रताप एन्क्लेव' योजना कर दिया गया है। इस योजना में कुल 216 आवेदकों द्वारा पंजीकरण करवाया गया है। इनमें से प्रथम चरण में व द्वितीय चरण में कुल 216 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर 215 आवासों का कब्जा आवंटियों को सौंपा जा चुका है। योजना में निर्मित सभी आवास उच्च आय वर्ग डुप्लेक्स श्रेणी के बनाये गये हैं।

**प्रताप अपार्टमेंट** : समूह बहुमंजिली आवासीय योजना (S+10) सांगानेर में वीरांगना विहार योजना सहित लम्बित पंजीकृत आवेदकों हेतु सेक्टर–29 में स्ववित्त पोषित / पंजीकरण योजनान्तर्गत 1380 आवेदकों हेतु अल्प आय वर्ग के 660, मध्यम आय वर्ग 'अ' के 300, मध्यम आय वर्ग 'ब' के 220 एवं उच्च आय वर्ग के 200 फ्लैट्स कुल 1380 फ्लेट्स का निर्माण किया गया है। इनमें से 1270 फ्लैट्स का निर्माण कार्य पूर्ण कर 1176 फ्लैट्स का आवंटन दिसम्बर 2015 तक कर दिया गया है। इसी योजना में वीरांगनाओं को अल्प आय वर्ग के 144 एवं मध्यम आय वर्ग अ के 63 कुल 207 फ्लैट्स का आवंटन किया जा चुका है। इस योजना में दिसम्बर 2015 तक 785 फ्लैट्स का कब्जा आवंटियों को सौपा जा चुका है।

**मेवाड़ अपार्टमेंट** : समूह बहुमंजिली आवासीय योजना (S+9) जयपुर के प्रतापनगर के सैक्टर–15 में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत उच्च आय वर्ग के 352 फ्लैट्स का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 342 फ्लैट्स को आवंटित कर 306 फ्लैट्स का कब्जा दे दिया गया है।

**कृष्णा अपार्टमेन्ट** : सैक्टर–28 में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के लिये 1024 (G+3) के आवास नियोजित किये गये है। सभी आवासों का निर्माण पूर्ण कर 1020 का आवंटन कर दिया गया है एवं दिसम्बर 2015 तक 961 आवासों का कब्जा आवंटियों को सौपा जा चुका है।

**चिनाब अपार्टमेन्ट** : समूह आवासीय योजना में मध्यम आय वर्ग (अ) के भूतल + तीन मंजलीय 640 फ्लैटों का कार्य पूर्ण कर दिया गया है, पूर्ण आवासों में से दिसम्बर 2015 तक 627 आवंटियों को कब्जा दिया जा चुका है।

**अलकनन्दा अपार्टमेन्ट** : समूह आवासीय योजना के अन्तर्गत अल्प आय वर्ग के प्रतिक्षारत समान्य पंजीकृत योजना के आवेदकों हेतु सेक्टर–9, प्रतापगनर में भूतल + तीन मंजलीय 272 फ्लैटों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इनमें से 262 फ्लैटों का कब्जा दिसम्बर 2015 तक आवंटियों को दिया जा चुका है।

**रावी अपार्टमेन्ट** : समूह आवासीय योजना के तहत अल्प आय वर्ग के सामान्य पंजीकरण योजना के प्रतिक्षारत आवेदकों हेतु 272 (G+3) फ्लैटों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, इनमें से 272 फ्लैट्स का आवंटन कर 257 फ्लैट्स का कब्जा आवंटियों को दिया जा चुका है।

**सतलज अपार्टमेन्ट** : सैक्टर 28 में अल्प आय वर्ग के लिये 416 (G+3) फ्लैट्स नियोजित किये गये है, सभी फ्लैट्स का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर फ्लैट्स का आवंटन दिसम्बर 2015 तक किया जा चुका है। इनमें से 296 फ्लैट्स का कब्जा दिया जा चुका है।

**व्यास अपार्टमेन्टः–** सैक्टर–11 में मध्यम आय वर्ग "ब" (G+2) के 108, (B+S+10) के 160 एवं उच्च आय वर्ग (G+2) के 96 फ्लैट्स कुल 364 फ्लैटस का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 284 फ्लैट्स पूर्ण किये जा चुके है। इनमें से 296 फ्लैट्स का आवंटन कर मध्यम आय वर्ग–ब के 104 फ्लैट्स का कब्जा दिया जा चुका है। उच्च आय वर्ग के 96 फ्लैट्स का कार्य पूर्ण हो गया है इनमें से 70 का आवंटन किया जा चुका है। वर्तमान में मध्यम आय वर्ग–ब के 80 फ्लैट्स (B+S+10) का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण होने को है।

**प्रतापनगर योजना के सैक्टर–26** में स्ववित्त पोषित योजना के तहत (S+10) उच्च आय वर्ग के 320 फ्लैट्स नियोजित है, इनमें से 160 फ्लैट्स का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है तथा 80 फ्लैट्स का निर्माण कार्य प्रगति पर है। दिसम्बर 2015 तक इनमें से 149 फ्लैट्स का आवंटन कर 44 फ्लैट्स का कब्जा दिया जा चुका है।

**सरस्वती अपार्टमेन्टः–** सेक्टर–18 में मुख्य कुम्भा मार्ग पर मध्यम आय वर्ग–ब के (St+6) के 192 फ्लैट्स का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 48 फ्लैट्स का कार्य प्रगति पर हैं। सभी फ्लैट्स आवंटित हो चुके है। दिसम्बर 2015 तक 92 फ्लैट्स का कब्जा दिया जा चुका है।

**गोमती अपार्टमेन्टः–** सेक्टर–18 में मध्यम आय वर्ग–अ के (S+11) के 440 फ्लैटों का नियोजन कर पंजीकरण आमंत्रित कर कुल 396 फ्लैटों का निर्माण प्रगति पर हैं। इन फ्लैटों हेतु कुल 397 पंजीकरण प्राप्त हो चुके हैं। जिसमें से दिसम्बर 2015 तक 201 फ्लैट्स आवंटित किये जा चुके है।

**झेलम अपार्टमेन्टः–** सेक्टर–28 में मध्यम आय वर्ग –अ के 160 (G+3) फ्लैट्स व मध्यम आय वर्ग –ब के 192 कुल 352 फ्लैट्स (G+3) का नियोजन किया गया था, जिसमें से मध्यम आय वर्ग–अ के 80 फ्लैट्स व मध्यम आय वर्ग–ब के 160 फ्लैट्स का निर्माण पूर्ण कर मध्यम आय वर्ग–अ के 53 फ्लैट्स व मध्यम आय वर्ग–ब के 145 फ्लैट्स का भौतिक कब्जा आवंटियों को दिया जा चुका है शेष के कब्जे दिये जाने की प्रक्रिया जारी है, योजना के बकाया 80 फ्लैट्स मध्यम आय वर्ग–अ व 32 फ्लैट्स मध्यम आय वर्ग–ब के फ्लेट्स का कार्य दिसम्बर 2015 तक पूर्ण किया जा चुका है।

**गोदावरी अपार्टमेन्टः–**सेक्टर–29 में अफोर्डेबल योजना के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (G+3) के 416, अल्प आय वर्ग के (G+3) के 368 व मध्यम आय वर्ग –के (G+3) 160, कुल 944 फ्लैट्स का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। कमजोर आय वर्ग के 306 फ्लैट्स, अल्प आय वर्ग के 280 फ्लैट्स व मध्यम आय वर्ग–अ के 129 फ्लैट्स का भौतिक कब्जा आवंटियों को सम्भलवाया जा चुका है, शेष फ्लेट्स का भौतिक कब्जा दिये जाने की प्रक्रिया जारी है।

**नर्मदा अपार्टमेन्टः–** प्रताप नगर आवासीय योजना के सेक्टर–8 में चेतक मार्ग पर स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग–ब (B+S+11) के 88 फ्लैट्स का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस योजना में 62 फ्लैट्स का आवंटन किया जा चुका है।

**साबरमती अपार्टमेन्टः–** प्रताप नगर आवासीय योजना के सेक्टर–17 में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग–अ (S+9) के 72 फ्लैट्स का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

**महला आवासीय योजनाः–** जयपुर वृत प्रथम के अधीन आवासन मण्डल द्वारा प्रारम्भ की गई महला आवासीय योजना जयपुर अर्न्तराष्ट्रीय हवाई हड्डे से लगभग 55.00 किलोमीटर, सिन्धी कैम्प बस स्टैण्ड से लगभग 37 किलोमीटर व जयपुर रेल्वे स्टेशन से लगभग 39 किलोमीटर दूर जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बगरू व दूदू के मध्य तथा राजमार्ग के दाहिनी ओर ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय

के सामने स्थित है। इस योजना के क्षेत्रफल लगभग 70.00 हैक्टेयर है। इस योजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 336, अल्प आय वर्ग के 816 एवं मध्यम आय वर्ग–अ के 624 (G+3) टाईप के फ्लैट्स बनाये जाने है। इसमें से प्रथम चरण में दिनांक 28.02.2014 से 31.03.2014 तक अल्प आय वर्ग के 416 फ्लैट्स (G+3) हेतु योजना प्रारम्भ की गई थी, जिसके लिये 1801 आवंटियों द्वारा आवेदन किया गया था।

इस योजना के द्वितीय चरण में दिनांक 23.06.2014 से 22.07.2014 तक आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 112 फ्लेट्स हेतु एवं मध्यम आय वर्ग "अ" के 128 (G+3) टाईप के फ्लैट हेतु योजना प्रारम्भ की गई थी, जिनके लिये क्रमशः आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 2083 आवंटियों ने एवं मध्यम आय वर्ग "अ" के 160 आवंटियों द्वारा आवेदन किया गया था। वर्तमान में अल्प आय वर्ग के 1344 फ्लैट्स (G+3) का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 112 फ्लैट्स (G+3) एवं मध्यम आय वर्ग–अ के 128 फ्लैट्स (G+3) का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया हैं। जिसमें से आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 94 फ्लैट्स, अल्प आय वर्ग के 363 फ्लैट्स एवं मध्यम आय वर्ग के 96 फ्लैट्स दिसम्बर 2015 तक आवंटित किये जा चुके है।

### 15.4 चौपासनी योजना, जोधपुर

चौपासनी आवासीय योजना में माह दिसम्बर 2015 के अन्त तक 13795 आवासों/फ्लैटों का निर्माण प्रारम्भ कर कुल 13471 आवासों/फ्लैटों का निर्माण पूर्ण किया गया तथा 13592 आवासों/फ्लैटों का आवंटन आवेदकों का कर दिया गया है तथा कुल 13401 आवासों/फ्लैटों का भौतिक कब्जा आवेदकों को सुपुर्द कर दिया गया है।

**मारवाड़ अपार्टमेन्ट :–** चौपासनी आवासीय योजना के सेक्टर 14–ई में विभिन्न आय वर्ग के कुल 396 बहुमंजिले आवास नियोजित किये गये है। इस योजना के प्रथम चरण में मध्यम आय वर्ग–ब के 144 (बी+एस+9) फ्लैटों का निर्माण कर 139 फ्लैटों का आवंटन कर 123 कब्जा सुपुर्द कर दिया गया है तथा 5 फ्लैटों का निस्तारण नीलामी द्वारा किया जाना है। इसी योजना में मध्यम आय वर्ग–ब के 72 फ्लैटों का निर्माण कर 62 फ्लैटों का आवंटन कर दिया गया है। वर्तमान में इस योजना में 36 उच्च आय वर्ग एवं 36 मध्यम आय वर्ग–ब (बी+एस+9) के फ्लैटों का निमार्ण कार्य प्रगति पर है।

**उद्यान अपार्टमेन्ट** :– चौपासनी योजना के सेक्टर 21–ई एवं 22 में मध्यम आय वर्ग–अ के कुल 224 (जी+3) फ्लैटों का निर्माण कर 222 फ्लैटों का आवंटन किया जाकर माह दिसम्बर 2015 के अन्त तक 181 फ्लैटों का भौतिक कब्जा सुपुर्द कर दिया गया है। इसी योजना में उच्च आय वर्ग (बी+एस+9) के 144 एवं मध्यम आय वर्ग–ब के 36 फ्लैटों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उच्च आय वर्ग के 67 फ्लैटों का आवंटन किया जा चुका है।

**कुड़ी भगतासनी योजना, जोधपुर**

कुड़ी भगतासनी आवासीय योजना में माह दिसम्बर 2015 के अन्त तक 15805 आवासों/फ्लैटों का निर्माण प्रारम्भ कर कुल 13933 आवासों/फ्लैटों का निर्माण पूर्ण किया गया तथा 14178 आवासों/फ्लैटों का आवंटन आवेदकों का कर दिया गया है तथा कुल 12953 आवासों/फ्लैटों का भौतिक कब्जा आवेदकों को सुपुर्द कर दिया गया है। योजना में वर्तमान में 1872 आवासें/फ्लैटों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

**विवेक विहार योजना, जोधपुर**

विवेक विहार योजना, जोधपुर में माह दिसम्बर 2015 के अन्त तक 1936 फ्लैटों का निर्माण प्रारम्भ कर कुल 1616 फ्लैटों का निर्माण पूर्ण किया गया तथा 1669 फ्लैटों का आवंटन आवेदकों का कर दिया गया है तथा कुल 146 फ्लैटों का भौतिक कब्जा आवेदकों को सुपुर्द कर दिया गया है। योजना में वर्तमान में 320 फ्लैटों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

**15.5 भिवाड़ी (अलवर)**

भिवाडी शहर में माह दिसम्बर 2015 तक 6103 आवास/फ्लेट्स का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है, जिसमें से 5087 आवास/फ्लैटों का का आवंटन कर 4407 आवास/फ्लैटों का हस्तान्तरण किया जा चुका है। भिवाडी की अरावली विहार योजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 496 फ्लैटों, अल्प आय वर्ग के 256 फ्लैटों, मध्यम आय वर्ग 'अ' के 112 फ्लैटों, मध्यम आय वर्ग 'ब' के 62 एंव उच्च आय वर्ग के 139 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

**15.6 उदयपुर**

उदयपुर शहर में माह दिसम्बर 2015 तक कुल 9869 आवासो का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 9869 आवासो का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया एवं 9848 आवासो का आवंटन कर 9686 आवासो का भौतिक कब्जा आवंटियो को सुपूर्द किये जा चुके है।

सलुम्बर शहर में माह दिसम्बर 2015 तक कुल 287 आवासो का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 276 आवासो का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया एवं 286 आवासो का आवंटन कर 254 आवासो का भौतिक कब्जा आवंटियो को सुपूर्द किये जा चुके है एवं विभिन्न आय वर्गो के 11 आवासो का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

राजसमंद शहर में माह दिसम्बर 2015 तक कुल 1289 आवासो का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 1258 आवासो का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया एवं 1256 आवासो का आवंटन कर 1180 आवासो का भौतिक कब्जा आवंटियो को सुपूर्द किये जा चुके है एवं विभिन्न आय वर्गो के 31 आवासो का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

भीलवाडा शहर में माह दिसम्बर 2015 तक कुल 7530 आवासो का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 7480 आवासो का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया एवं 7418 आवासो का आवंटन कर 6672 आवासो का भौतिक कब्जा आवंटियो को सुपूर्द किये जा चुके है एवं विभिन्न आय वर्गो के 50 आवासो का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

चित्तौडगढ़ शहर में माह दिसम्बर 2015 तक कुल 2050 आवासो का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 2050 आवासो का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया एवं 2050 आवासों का आवंटन कर 1979 आवासों का भौतिक कब्जा आवंटियो को सुपूर्द किये जा चुके है।

निम्बाहेडा शहर में माह दिसम्बर 2015 तक कुल 1164 आवासो का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 1042 आवासो का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया एवं 1144 आवासो का आवंटन कर 975 आवासो का भौतिक कब्जा आवंटियो को सुपूर्द किये जा चुके है एवं विभिन्न आय वर्गो के 122 आवासो का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

बांसवाडा शहर में माह दिसम्बर 2015 तक कुल 2861 आवासो का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 2860 आवासो का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया एवं 2852 आवासो का आवंटन कर 2799 आवासो का भौतिक कब्जा आवंटियो को सुपूर्द किये जा चुके है।

सागवाडा शहर में माह दिसम्बर 2015 तक कुल 1086 आवासो का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 1081 आवासो का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया एवं 1081 आवासो का आवंटन कर 928 आवासो का भौतिक कब्जा आवंटियो को सुपूर्द किये जा चुके है।

परतापुर शहर में माह दिसम्बर 2015 तक कुल 829 आवासो का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 690 आवासो का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया एवं 658 आवासो

का आवंटन कर 594 आवासो का भौतिक कब्जा आवंटियो को सुपूर्द किये जा चुके है एवं विभिन्न आय वर्गो के 139 आवासो का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

डूंगरपुर शहर में माह दिसम्बर 2015 तक कुल 2274 आवासो का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 2232 आवासो का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया एवं 2200 आवासो का आवंटन कर 2201 आवासो का भौतिक कब्जा आवंटियो को सुपूर्द किये जा चुके है एवं विभिन्न आय वर्गो के 42 आवासो का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

### 15.7 कोटा

कोटा वृत्त के अधीन चार जिलों कोटा, बूंदी, झालावाड तथा बारां जिलों में विभिन्न स्थानों पर मण्डल द्वारा आवासीय कॉलोनियों का निर्माण किया गया है/प्रगति पर है इन कॉलोनियों में विभिन्न आय वर्ग के कुल 30683 आवासों का निर्माण कार्य मण्डल द्वारा हाथ में लिया गया है।

कोटा शहर में मण्डल द्वारा अब तक 23468 आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा कर 23437 आवासों का आवंटन किया जाकर 23370 आवासों का कब्जा माह दिसंबर 2015 तक दिये जा चुके है। वर्तमान में कोटा भाहर में कुल 206 पंजीकृत आवेदक आवासों के आवंटन हेतु प्रतीक्षारत है। कोटा भाहर हेतु ग्राम रामपुरिया की कुल2800 बीघा राजकीय सिवायचक भूमि के आवंटन का प्रस्ताव जिला कलेक्टर भूमि की अनुशंसा के साथ राज्य सरकार को प्रेषित किया हुआ है, राज्य सरकार के स्तर से शीघ्र ही आवंटन अपेक्षित है।

कोटा वृत्त के अधीन महत्वपूर्ण योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है–

(अ) कुन्हाडी आवासीय योजना कोटा – कुंन्हाडी योजना में अब तक विभिन्न आय वर्ग के 427 आवासों का निर्माण किया जाकर आवंटन किया जा चुका है। द्वारकापुरी योजना में भी अल्प आय वर्ग के 120 (G+3) फ्लैट्स का निर्माण किया जाकर आवंटन किया जा चुका है तथा अब तक 111 आवंटियों को कब्जे दिये जा चुके है। वर्तमान में ग्रुप हाउसिंग के MIG-B (S+6) 24 flats का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(ब) स्वामी विवेकानन्द योजना कोटा – इस योजना में अब तक विभिन्न आय वर्ग के 2612 आवासों का निर्माण किया जाकर आवंटन किया जा चुका है तथा 2603 आवासों के कब्जे दिये जा चुके है।

(स) झालावाड़ आवासीय योजना – झालावाड़ आवासीय योजना में कुल 495 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाकर 491 आवासों का आवंटन अब तक किया जा चुका है तथा अब तक 433 आवासों के कब्जे दिये जा चुके है। वर्तमान में इस योजना में 35 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

### 15.8 बीकानेर

बीकानेर शहर में आवासन मण्डल द्वारा माह दिसम्बर 2015 तक दो योजनाओं यथा पवनपुरी एंव मुक्ताप्रसाद नगर विकसित की गयी है जिनमें से पवनपुरी योजना में 1583 आवासों का निर्माण पूर्ण किया जाकर आवेदकों को कब्जा दिया जा चुका है। जबकि मुक्ताप्रसाद नगर में 4856 आवासों का निर्माण प्रारम्भ किया गया जिनमें से 4638 आवासों का निर्माण पूर्ण कर 4527 आवासों का कब्जा आवेदकों को दिया जा चुका है। बीकानेर शहर में आवासन मण्डल की एक अन्य महत्वपूर्ण शिवबाडी योजना के अन्तर्गत 579.526 हैक्टेयर भूमि अवाप्ति हेतु प्रकरण राज्य सरकार के पास विचाराधीन है जिसमें से राज्य सरकार द्वारा 547.4458 हैक्टेयर भूमि का अवार्ड तीन चरणों में जारी कर दिया गया है।

## 16 अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी– 2009

राज्य सरकार द्वारा राज्य में अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी–2009 वर्ष 2009 में लागू की गई थी। उक्त पॉलिसी के तहत राज्य में वर्ष 2009 से 2014 तक 5 वर्षो में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग तथा अल्प आय वर्ग श्रेणी के 1,25,000 आवास निर्माण किये जाने का लक्ष्यों का निर्धारण सम्बन्धित प्राधिकरण/राजस्थान आवासन मण्डल/नगर सुधार न्यासों को किया गया था। आवासन मण्डल द्वारा वर्ष 2009–10 से माह दिसम्बर 2015 तक इस योजना में की गई प्रगति का विवरण निम्नानुसार है :–

| क्र.सं. | वर्ष | निर्माण प्रारम्भ कराये गये आवासों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2009–10 | 8651 |
| 2 | 2010–11 | 2949 |
| 3 | 2011–12 | 3872 |
| 4 | 2012–13 | 8251 |
| 5 | 2013–14 | 6237 |
| 6 | 2014–15 | 5787 |
| 7 | 2015–16 (माह दिसम्बर 2015 तक) | 3045 |
| | **कुल योग** | **38792** |

## 17. राज्य सरकार द्वारा निर्देशित योजनाओं का विवरण

**मुख्यमंत्री जन आवास योजना–** मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्तर्गत बडली आवासीय योजना जोधपुर में 10 हैक्टेयर भूमि पर EWS & LIG के 4608 बहुमंजिले फ्लैट्स (G+8) एवं महला आवासीय योजना, जयपुर में 4.97 हैक्टेयर भूमि पर EWS & LIG के 2592 बहुमंजिले फ्लैट्स (G+8) के निर्माण हेतु IOB/EOI दिनांक 27.11.2015 को समाचार पत्रों में प्रकाशित की जा चुकी है इसके अतिरिक्त सूरतगढ, हनुमानगढ एवं उदयपुर में भी EOI प्राप्त किया जाना प्रक्रियाधीन है।

**कन्वेंशन सेंटर –** राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन सेंटर का PPP मॉडल पर विकास एवं संधारण करने हेतु मानसरोवर आवासीय योजना जयपुर में वीटी रोड पर लगभग 60,472 वर्गमीटर भूमि चिन्हित एवं PDCOR Ltd. से डीपीआर प्राप्त की जाकर बिड आमंत्रण सूचना दिनांक 17.11.2015 को समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी। निर्धारित समयानुसार दिनांक 10.12.2015 को प्री बिड मीटिंग की जा चुकी है। अब बिड प्रस्तुत की जाने की आखिरी तारीख 18.01.2016 तथा तकनीकी बिड 25.01.2016 को खोला जाना प्रस्तावित है। उक्त सूचना मण्डल की वेबसाईट, राज्य सरकार के ई–प्रोक पोर्टल व एसपीपीपी पोर्टल पर भी अपलोड किया जा चुका है।

**दस्तकार नगर योजना हेतु पंजीकरण** –राज्य सरकार के निर्देशानुसार ग्राम नायला जयपुर में मण्डल द्वारा निर्मित 750 कार्यशाला मय आवासों को राष्ट्र/राज्य के पंजीकृत दस्तकारों/अन्य को आवंटित किये जाने हेतु नयी पंजीकरण योजना दिनांक 21.12.2015 से 20.01.2016 तक प्रारम्भ की गयी है।

**स्मार्ट सिटी की तर्ज पर योजना** – राज. आवासन मण्डल द्वारा राज्य के जोधपुर एंव उदयपुर में स्मार्ट सिटी की तर्ज पर आवासीय योजनाए विकसित किये जाने हेतु सिंगापुर कॉ–ऑपरेशन एंटरप्राईजेज एंव राज. आवासन मण्डल के बीच माह नवम्बर 2015 में अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया है।

तालिका i. दिसम्बर, 2015 तक निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये गये शहर/कस्बों की सूची

1. आबू रोड
2. अजमेर
3. अकलेरा
4. अलवर
5. अटरू
6. बालोतरा
7. बांसवाड़ा
8. बारां
9. अन्ता
10. बडी सादडी
11. ब्यावर
12. भरतपुर
13. भवानीमण्डी
14. भीलवाड़ा
15. भीण्डर
16. भिवाड़ी
17 बीकानेर
18 बूंदी
19. छबड़ा
20 छीपाबड़ौद
21 चित्तौड़गढ
22 चौमेहला
23 चूरू
24 दौसा
25 धौलपुर
26 डूंगरपुर
27. गुलाबपुरा
28 हनुमानगढ़
29. जयपुर
30. जैसलमेर
31. झालावाड़
32. झालरापाटन
33. झुंझुनू
34. जोधपुर
35. किशनगढ़
36. कोटा
37. कोटपुतली
38. लाखेरी
39. नागौर
40. नैनवा
41. नसीराबाद
42. नाथद्वारा
43. निम्बाहेड़ा
44. पाली
45. फलौदी
46. परतापुर
47. पिण्डवाड़ा
48. प्रतापगढ़
49 रायला
50. राजसमंद
51. रामगंजमण्डी
52. श्रीगंगानगर
53. सवाई माधोपुर
54. सागवाड़ा
55. सलुम्बर
56. सीकर
57. सिरोही
58. सिवाना
59. सुमेरपुर
60. सुनेल
61. सुरतगढ़
62. टोंक
63. उदयपुर
64. मांगरोल
65. बाडमेर

## तालिका ii.a शहरवार/आय वर्ग अनुसार आवासों का कार्य प्रारम्भ/पूर्ण की सूची (मण्डल की स्थापना से दिसम्बर, 2015 तक)

| क्र. सं. | शहर | आवासों का कार्य प्रारम्भ | | | | | | आवास पूर्ण | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आ.दु.क. आय वर्ग | अल्प आय वर्ग | मध्यम आय वर्ग अ | मध्यम आय वर्ग ब | उच्च आय वर्ग | योग | आ.दु.क. आय वर्ग | अल्प आय वर्ग | मध्यम आय वर्ग अ | मध्यम आय वर्ग ब | उच्च आय वर्ग | योग |
| 1 | आबू रोड | 531 | 582 | 320 | 155 | 24 | 1612 | 461 | 517 | 274 | 121 | 19 | 1392 |
| 2 | अजमेर | 1681 | 1149 | 991 | 827 | 350 | 4998 | 1681 | 1149 | 991 | 827 | 350 | 4998 |
| 3 | अकलेरा | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 |
| 4 | अलवर | 2618 | 1827 | 1688 | 1000 | 375 | 7508 | 2574 | 1827 | 1664 | 991 | 370 | 7426 |
| 5 | अटरू | 286 | 103 | 25 | 9 | 3 | 426 | 262 | 99 | 25 | 9 | 3 | 398 |
| 6 | बालोतरा | 417 | 356 | 218 | 207 | 28 | 1226 | 417 | 342 | 218 | 207 | 28 | 1212 |
| 7 | बांसवाड़ा | 1174 | 988 | 375 | 264 | 60 | 2861 | 1174 | 988 | 375 | 264 | 59 | 2860 |
| 8 | बारां | 626 | 166 | 62 | 7 | 0 | 861 | 626 | 166 | 62 | 7 | 0 | 861 |
| 9 | अन्ता | 64 | 91 | 32 | 7 | 12 | 206 | 64 | 91 | 32 | 7 | 12 | 206 |
| 10 | बड़ी सादड़ी | 131 | 71 | 5 | 0 | 0 | 207 | 131 | 71 | 5 | 0 | 0 | 207 |
| 11 | ब्यावर | 878 | 522 | 393 | 420 | 149 | 2362 | 827 | 468 | 379 | 420 | 149 | 2243 |
| 12 | भरतपुर | 355 | 453 | 315 | 120 | 40 | 1283 | 355 | 453 | 315 | 120 | 38 | 1281 |
| 13 | भवानी मण्डी | 126 | 27 | 25 | 0 | 0 | 178 | 126 | 27 | 25 | 0 | 0 | 178 |
| 14 | भीलवाड़ा | 2857 | 2636 | 803 | 735 | 499 | 7530 | 2857 | 2604 | 694 | 711 | 499 | 7365 |
| 15 | भीण्डर | 46 | 25 | 8 | 2 | 2 | 83 | 46 | 25 | 8 | 2 | 2 | 83 |
| 16 | भिवाड़ी | 2235 | 1433 | 1005 | 557 | 873 | 6103 | 1739 | 1177 | 893 | 496 | 734 | 5039 |
| 17 | बीकानेर | 1861 | 1754 | 1208 | 1186 | 440 | 6449 | 1718 | 1701 | 1176 | 1186 | 440 | 6221 |
| 18 | बाड़मेर | 384 | 192 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | चौमेहला | 132 | 100 | 0 | 0 | 0 | 232 | 132 | 100 | 0 | 0 | 0 | 232 |
| 20 | छबड़ा | 279 | 249 | 72 | 28 | 23 | 651 | 279 | 249 | 72 | 28 | 23 | 651 |
| 21 | छीपा बड़ौद | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 22 | चित्तौड़गढ़ | 902 | 505 | 363 | 155 | 125 | 2050 | 902 | 505 | 363 | 155 | 125 | 2050 |
| 23 | चूरू | 370 | 288 | 79 | 54 | 49 | 840 | 370 | 288 | 71 | 44 | 30 | 803 |
| 24 | दौसा | 623 | 361 | 245 | 66 | 84 | 1379 | 575 | 325 | 221 | 66 | 84 | 1271 |
| 25 | धौलपुर | 444 | 397 | 259 | 231 | 17 | 1348 | 267 | 230 | 245 | 231 | 17 | 990 |
| 26 | डूंगरपुर | 417 | 807 | 767 | 207 | 76 | 2274 | 417 | 786 | 746 | 207 | 76 | 2232 |
| 27 | गुलाबपुरा | 159 | 171 | 134 | 24 | 7 | 495 | 159 | 171 | 134 | 24 | 7 | 495 |
| 28 | हनुमानगढ़ | 1463 | 1148 | 579 | 779 | 409 | 4378 | 1175 | 968 | 555 | 757 | 361 | 3816 |
| 29 | जयपुर | 22387 | 24561 | 15918 | 17074 | 12350 | 92290 | 22275 | 21623 | 14787 | 16430 | 12094 | 87209 |
| 30 | जैसलमेर | 224 | 93 | 146 | 21 | 22 | 506 | 224 | 93 | 62 | 21 | 22 | 422 |
| 31 | झालरापाटन | 165 | 50 | 0 | 0 | 0 | 215 | 165 | 50 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| 32 | झालावाड़ | 170 | 232 | 93 | 29 | 6 | 530 | 170 | 217 | 73 | 29 | 6 | 495 |
| 33 | झुंझूनू | 708 | 653 | 163 | 236 | 46 | 1806 | 708 | 653 | 163 | 236 | 46 | 1806 |
| 34 | जोधपुर | 12745 | 10486 | 5018 | 3995 | 2620 | 34864 | 11561 | 9782 | 4874 | 3707 | 2424 | 32348 |

| क्र. सं. | शहर | आवासों का कार्य प्रारम्भ | | | | | | आवास पूर्ण | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आ.दृ.क. आय वर्ग | अल्प आय वर्ग | मध्यम आय वर्ग अ | मध्यम आय वर्ग ब | उच्च आय वर्ग | योग | आ.दृ.क. आय वर्ग | अल्प आय वर्ग | मध्यम आय वर्ग अ | मध्यम आय वर्ग ब | उच्च आय वर्ग | योग |
| 35 | किशनगढ़ | 998 | 427 | 281 | 181 | 88 | **1975** | 998 | 427 | 281 | 181 | 88 | **1975** |
| 36 | कोटा | 8287 | 6294 | 3950 | 3365 | 1572 | **23468** | 8287 | 6294 | 3950 | 3341 | 1571 | **23443** |
| 37 | बूंदी | 502 | 383 | 221 | 86 | 12 | **1204** | 502 | 383 | 221 | 86 | 12 | **1204** |
| 38 | कोटपुतली | 299 | 252 | 155 | 101 | 69 | **876** | 299 | 252 | 155 | 101 | 69 | **876** |
| 39 | लाखेरी | 234 | 104 | 43 | 16 | 9 | **406** | 117 | 8 | 0 | 0 | 0 | **125** |
| 40 | मांगरोल | 177 | 59 | 8 | 0 | 0 | **244** | 177 | 59 | 8 | 0 | 0 | **244** |
| 41 | नागौर | 1421 | 857 | 514 | 161 | 28 | **2981** | 1417 | 781 | 340 | 138 | 21 | **2697** |
| 42 | नैनवा | 129 | 200 | 42 | 16 | 12 | **399** | 128 | 200 | 9 | 0 | 0 | **337** |
| 43 | नसीराबाद | 434 | 303 | 119 | 95 | 61 | **1012** | 434 | 303 | 119 | 95 | 61 | **1012** |
| 44 | नाथद्वारा | 11 | 104 | 61 | 54 | 2 | **232** | 11 | 104 | 61 | 54 | 2 | **232** |
| 45 | निम्बाहेड़ा | 363 | 363 | 253 | 98 | 87 | **1164** | 363 | 299 | 201 | 90 | 85 | **1038** |
| 46 | पाली | 1208 | 661 | 363 | 260 | 55 | **2547** | 1208 | 661 | 363 | 260 | 55 | **2547** |
| 47 | परतापुर | 274 | 351 | 111 | 76 | 17 | **829** | 219 | 296 | 86 | 76 | 13 | **690** |
| 48 | फलौदी | 623 | 245 | 174 | 88 | 42 | **1172** | 623 | 245 | 174 | 88 | 42 | **1172** |
| 49 | पिण्डवाड़ा | 138 | 40 | 102 | 42 | 21 | **343** | 138 | 40 | 101 | 42 | 21 | **342** |
| 50 | प्रतापगढ़ | 154 | 165 | 151 | 148 | 48 | **666** | 154 | 165 | 151 | 148 | 48 | **666** |
| 51 | रायला | 257 | 50 | 0 | 0 | 0 | **307** | 257 | 50 | 0 | 0 | 0 | **307** |
| 52 | राजसमन्द | 407 | 313 | 337 | 161 | 71 | **1289** | 407 | 313 | 320 | 147 | 71 | **1258** |
| 53 | रामगंज मण्डी | 418 | 133 | 52 | 62 | 14 | **679** | 347 | 133 | 52 | 58 | 14 | **604** |
| 54 | श्रीगंगानगर | 701 | 224 | 302 | 33 | 0 | **1260** | 701 | 224 | 302 | 33 | 0 | **1260** |
| 55 | सवाई माधोपुर | 287 | 360 | 394 | 194 | 33 | **1268** | 287 | 360 | 394 | 194 | 33 | **1268** |
| 56 | सागवाड़ा | 201 | 754 | 85 | 30 | 16 | **1086** | 201 | 750 | 85 | 30 | 15 | **1081** |
| 57 | सलूम्बर | 124 | 93 | 44 | 20 | 6 | **287** | 124 | 93 | 44 | 10 | 5 | **276** |
| 58 | सीकर | 385 | 322 | 346 | 138 | 62 | **1253** | 385 | 322 | 346 | 138 | 62 | **1253** |
| 59 | सिरोही | 179 | 281 | 95 | 99 | 22 | **676** | 179 | 281 | 95 | 99 | 22 | **676** |
| 60 | सिवाना | 151 | 52 | 15 | 10 | 0 | **228** | 151 | 52 | 15 | 10 | 0 | **228** |
| 61 | सुमेरपुर | 15 | 48 | 44 | 43 | 4 | **154** | 15 | 48 | 44 | 43 | 4 | **154** |
| 62 | सुनैल | 134 | 110 | 66 | 39 | 64 | **413** | 134 | 110 | 66 | 39 | 64 | **413** |
| 63 | सूरतगढ़ | 669 | 243 | 238 | 218 | 137 | **1505** | 669 | 242 | 238 | 218 | 126 | **1493** |
| 64 | टोंक | 933 | 270 | 112 | 67 | 51 | **1433** | 933 | 270 | 112 | 67 | 51 | **1433** |
| 65 | उदयपुर | 3049 | 2977 | 1749 | 1346 | 748 | **9869** | 3049 | 2977 | 1749 | 1346 | 748 | **9869** |
| | योग | 81192 | 69514 | 41736 | 35642 | 22040 | 250124 | 77923 | 64487 | 39584 | 34435 | 21321 | 237750 |

## तालिका ii.b शहरवार/आय वर्ग अनुसार आवासों का आवंटन/कब्जे की सूची
## (मण्डल की स्थापना से दिसम्बर, 2015 तक)

| क्र. सं. | शहर | आवासों का आवंटन | | | | | | आवासों का कब्जा | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आ.दु.क. आय वर्ग | अल्प आय वर्ग | मध्यम आय वर्ग अ | मध्यम आय वर्ग ब | उच्च आय वर्ग | योग | आ.दु.क. आय वर्ग | अल्प आय वर्ग | मध्यम आय वर्ग अ | मध्यम आय वर्ग ब | उच्च आय वर्ग | योग |
| 1 | आबू रोड | 443 | 505 | 263 | 120 | 19 | **1350** | 341 | 397 | 175 | 111 | 11 | **1035** |
| 2 | अजमेर | 1681 | 1149 | 984 | 827 | 350 | **4991** | 1663 | 1122 | 945 | 822 | 348 | **4900** |
| 3 | अकलेरा | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | **372** | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | **54** |
| 4 | अलवर | 2617 | 1826 | 1682 | 996 | 374 | **7495** | 2572 | 1697 | 1568 | 978 | 368 | **7183** |
| 5 | अटरू | 260 | 99 | 25 | 8 | 2 | **394** | 224 | 97 | 21 | 6 | 2 | **350** |
| 6 | बालोतरा | 408 | 340 | 211 | 206 | 27 | **1192** | 387 | 319 | 195 | 205 | 24 | **1130** |
| 7 | बांसवाड़ा | 1174 | 988 | 373 | 257 | 60 | **2852** | 1160 | 977 | 359 | 248 | 55 | **2799** |
| 8 | बारां | 626 | 164 | 62 | 7 | 0 | **859** | 530 | 106 | 51 | 2 | 0 | **689** |
| 9 | अन्ता | 63 | 91 | 32 | 4 | 8 | **198** | 49 | 84 | 29 | 3 | 5 | **170** |
| 10 | बडी सादडी | 117 | 64 | 5 | 0 | 0 | **186** | 68 | 40 | 0 | 0 | 0 | **108** |
| 11 | ब्यावर | 854 | 518 | 383 | 419 | 145 | **2319** | 757 | 445 | 362 | 333 | 141 | **2038** |
| 12 | भरतपुर | 355 | 462 | 314 | 120 | 37 | **1278** | 355 | 452 | 311 | 120 | 31 | **1269** |
| 13 | भवानी मण्डी | 125 | 27 | 25 | 0 | 0 | **177** | 114 | 26 | 24 | 0 | 0 | **164** |
| 14 | भीलवाडा | 2851 | 2600 | 749 | 730 | 487 | **7417** | 2555 | 2353 | 582 | 702 | 478 | **6670** |
| 15 | भीण्डर | 46 | 25 | 6 | 2 | 2 | **81** | 46 | 18 | 3 | 0 | 0 | **67** |
| 16 | भिवाडी | 1843 | 1144 | 880 | 495 | 732 | **5094** | 1535 | 1037 | 691 | 449 | 701 | **4413** |
| 17 | बीकानेर | 1765 | 1700 | 1190 | 1186 | 440 | **6281** | 1702 | 1691 | 1176 | 1138 | 403 | **6110** |
| 18 | बाड़मेर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 19 | चौमेहला | 132 | 100 | 0 | 0 | 0 | **232** | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | **16** |
| 20 | छबड़ा | 243 | 246 | 55 | 19 | 16 | **579** | 117 | 137 | 16 | 9 | 6 | **285** |
| 21 | छीपा बड़ौद | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | **199** | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | **4** |
| 22 | चितौडगढ़ | 898 | 505 | 361 | 152 | 123 | **2039** | 878 | 498 | 351 | 148 | 104 | **1979** |
| 23 | चूरू | 370 | 288 | 71 | 41 | 27 | **797** | 367 | 286 | 42 | 32 | 14 | **741** |
| 24 | दौसा | 622 | 358 | 245 | 66 | 84 | **1375** | 573 | 323 | 208 | 45 | 70 | **1219** |
| 25 | धौलपुर | 421 | 378 | 255 | 227 | 17 | **1298** | 239 | 183 | 214 | 206 | 14 | **856** |
| 26 | डूंगरपुर | 395 | 784 | 738 | 207 | 76 | **2200** | 395 | 784 | 738 | 207 | 76 | **2200** |
| 27 | गुलाबपुरा | 157 | 169 | 133 | 23 | 7 | **489** | 157 | 163 | 120 | 23 | 7 | **470** |
| 28 | हनुमानगढ़ | 1310 | 1057 | 557 | 750 | 357 | **4031** | 751 | 773 | 444 | 685 | 262 | **2915** |
| 29 | जयपुर | 21607 | 22363 | 14932 | 16640 | 11923 | **87465** | 21193 | 20008 | 13884 | 15438 | 11315 | **81838** |
| 30 | जैसलमेर | 224 | 93 | 140 | 21 | 22 | **500** | 214 | 92 | 55 | 20 | 13 | **394** |
| 31 | झालरापाटन | 165 | 50 | 0 | 0 | 0 | **215** | 154 | 45 | 0 | 0 | 0 | **199** |
| 32 | झालावाड | 166 | 217 | 73 | 29 | 6 | **491** | 122 | 206 | 72 | 27 | 6 | **433** |
| 33 | झुंझुनू | 708 | 653 | 163 | 233 | 46 | **1803** | 708 | 653 | 163 | 233 | 46 | **1803** |
| 34 | जोधपुर | 11727 | 9943 | 4778 | 3818 | 2500 | **32766** | 10468 | 9010 | 4310 | 3637 | 2401 | **29826** |

| क्र. सं. | शहर | आवासों का आवंटन | | | | | | आवासों का कब्जा | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आ.दु.क. आय वर्ग | अल्प आय वर्ग | मध्यम आय वर्ग अ | मध्यम आय वर्ग ब | उच्च आय वर्ग | योग | आ.दु.क. आय वर्ग | अल्प आय वर्ग | मध्यम आय वर्ग अ | मध्यम आय वर्ग ब | उच्च आय वर्ग | योग |
| 35 | किशनगढ़ | 977 | 423 | 273 | 180 | 81 | **1934** | 700 | 282 | 189 | 125 | 44 | **1340** |
| 36 | कोटा | 8287 | 6294 | 3950 | 3340 | 1566 | **23437** | 8274 | 6281 | 3932 | 3325 | 1558 | **23370** |
| 37 | बूंदी | 502 | 383 | 221 | 86 | 12 | **1204** | 501 | 378 | 218 | 86 | 11 | **1194** |
| 38 | कोटपुतली | 299 | 252 | 155 | 101 | 68 | **875** | 289 | 246 | 132 | 81 | 39 | **787** |
| 39 | लाखेरी | 225 | 102 | 41 | 0 | 7 | **375** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 40 | मांगरोल | 140 | 42 | 6 | 0 | 0 | **188** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 41 | नागौर | 1417 | 844 | 457 | 148 | 21 | **2887** | 1192 | 570 | 175 | 113 | 18 | **2068** |
| 42 | नैनवा | 125 | 179 | 42 | 14 | 9 | **369** | 86 | 119 | 0 | 0 | 0 | **205** |
| 43 | नसीराबाद | 433 | 298 | 119 | 92 | 60 | **1002** | 299 | 264 | 100 | 65 | 57 | **785** |
| 44 | नाथद्वारा | 11 | 104 | 61 | 53 | 2 | **231** | 11 | 104 | 61 | 43 | 2 | **221** |
| 45 | निम्बाहेड़ा | 361 | 360 | 192 | 88 | 77 | **1078** | 353 | 293 | 171 | 84 | 69 | **970** |
| 46 | पाली | 1202 | 661 | 363 | 260 | 55 | **2541** | 1201 | 660 | 361 | 260 | 49 | **2531** |
| 47 | परतापुर | 219 | 296 | 86 | 45 | 12 | **658** | 169 | 292 | 82 | 41 | 10 | **594** |
| 48 | फलौदी | 618 | 244 | 173 | 85 | 42 | **1162** | 498 | 184 | 136 | 64 | 33 | **915** |
| 49 | पिण्डवाड़ा | 138 | 39 | 100 | 40 | 21 | **338** | 117 | 0 | 76 | 37 | 10 | **240** |
| 50 | प्रतापगढ़ | 154 | 165 | 151 | 148 | 48 | **666** | 153 | 164 | 148 | 147 | 46 | **658** |
| 51 | रायला | 256 | 45 | 0 | 0 | 0 | **300** | 183 | 14 | 0 | 0 | 0 | **197** |
| 52 | राजसमन्द | 407 | 313 | 319 | 147 | 70 | **1256** | 407 | 312 | 249 | 142 | 70 | **1180** |
| 53 | रामगंज मण्डी | 418 | 132 | 52 | 57 | 14 | **673** | 266 | 121 | 43 | 44 | 11 | **485** |
| 54 | श्रीगंगानगर | 701 | 224 | 302 | 33 | 0 | **1260** | 701 | 224 | 300 | 33 | 0 | **1258** |
| 55 | सवाई माधोपुर | 287 | 360 | 394 | 194 | 33 | **1268** | 284 | 360 | 394 | 194 | 33 | **1265** |
| 56 | सागवाड़ा | 201 | 750 | 85 | 30 | 15 | **1081** | 150 | 703 | 68 | 7 | 0 | **928** |
| 57 | सलूम्बर | 124 | 93 | 44 | 19 | 6 | **286** | 115 | 84 | 37 | 10 | 5 | **251** |
| 58 | सीकर | 385 | 322 | 345 | 136 | 61 | **1249** | 383 | 321 | 342 | 135 | 61 | **1242** |
| 59 | सिरोही | 179 | 281 | 95 | 99 | 21 | **675** | 170 | 280 | 95 | 98 | 17 | **660** |
| 60 | सिवाना | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | **5** |
| 61 | सुमेरपुर | 15 | 48 | 44 | 43 | 4 | **154** | 15 | 45 | 42 | 36 | 4 | **142** |
| 62 | सुनैल | 129 | 100 | 66 | 39 | 64 | **398** | 121 | 83 | 61 | 28 | 61 | **354** |
| 63 | सूरतगढ़ | 669 | 242 | 237 | 211 | 133 | **1492** | 661 | 242 | 237 | 208 | 124 | **1472** |
| 64 | टोंक | 933 | 270 | 111 | 67 | 51 | **1432** | 930 | 270 | 111 | 67 | 49 | **1427** |
| 65 | उदयपुर | 3047 | 2969 | 1740 | 1344 | 747 | **9847** | 3037 | 2948 | 1653 | 1301 | 738 | **9677** |
| | योग | **77812** | **65731** | **39909** | **34702** | **21187** | **239341** | **71732** | **59873** | **36522** | **32601** | **रुरुरुरु** | **220748** |

तालिका **iii.a** नये आवास प्रारम्भ (आय वर्गानुसार/वर्षवार) (मण्डल की स्थापना से दिसम्बर 2015 तक)

| वर्ष | आ.दु.क. वर्ग | अल्प आय वर्ग | मध्यम आय वर्ग (अ) | मध्यम आय वर्ग (ब) | उच्च आय वर्ग | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.1990 तक | 38204 | 32394 | 17695 | 13409 | 5357 | 107059 |
| 1990–91 | 626 | 996 | 703 | 1123 | 633 | 4081 |
| 1991–92 | 1336 | 3466 | 2381 | 1708 | 1319 | 10210 |
| 1992–93 | 1190 | 1263 | 137 | 1409 | 1290 | 5289 |
| 1993–94 | 1068 | 815 | 2251 | 3165 | 1893 | 9192 |
| 1994–95 | 523 | 914 | 528 | 684 | 503 | 3152 |
| 1995–96 | 574 | 1315 | 826 | 398 | 374 | 3487 |
| 1996–97 | 900 | 802 | 389 | 654 | 344 | 3089 |
| 1997–98 | 2783 | 2553 | 1583 | 1751 | 425 | 9095 |
| 1998–99 | 740 | 716 | 362 | 568 | 192 | 2578 |
| 1999–00 | 368 | 218 | 106 | 95 | 47 | 834 |
| 2000–01 | 959 | 416 | 117 | 576 | 375 | 2443 |
| 2001–02 | 3257 | 484 | 107 | 326 | 480 | 4654 |
| 2002–03 | 592 | 516 | 224 | 415 | 687 | 2434 |
| 2003–04 | 1030 | 868 | 163 | 29 | 274 | 2364 |
| 2004–05 | 1912 | 1411 | 432 | 397 | 886 | 5038 |
| 2005–06 | 2863 | 1065 | 487 | 333 | 404 | 5152 |
| 2006–07 | 2086 | 3727 | 630 | 514 | 614 | 7571 |
| 2007–08 | 3146 | 1927 | 1229 | 1398 | 1822 | 9522 |
| 2008–09 | 2277 | 1489 | 1047 | 1004 | 953 | 6770 |
| 2009–10 | 2806 | 2377 | 2395 | 1073 | 610 | 9261 |
| 2010–11 | 1300 | 530 | 656 | 463 | 32 | 2981 |
| 2011–12 | 1346 | 1090 | 1436 | 810 | 548 | 5230 |
| 2012–13 | 3027 | 2681 | 2543 | 1273 | 578 | 10102 |
| 2013–14 | 3149 | 1840 | 1248 | 1084 | 684 | 8005 |
| 2014–15 | 2317 | 2271 | 1199 | 890 | 546 | 7223 |
| 2015–16 (माह दिस. 2015 तक) | 813 | 1370 | 862 | 93 | 170 | 3308 |
| योग | 81192 | 69514 | 41736 | 35642 | 22040 | 250124 |

## तालिका iii.b आवास पूर्ण किये गये (आय वर्गानुसार/वर्षवार) (मण्डल की स्थापना से दिसम्बर 2015 तक)

| वर्ष | आ.दु.क . वर्ग | अल्प आय वर्ग | मध्यम आय वर्ग (अ) | मध्यम आय वर्ग (ब) | उच्च आय वर्ग | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.1990 तक | 35038 | 28295 | 15621 | 11002 | 3779 | 93735 |
| 1990–91 | 1961 | 1961 | 795 | 1295 | 765 | 6777 |
| 1991–92 | 1004 | 2678 | 1762 | 1567 | 1033 | 8044 |
| 1992–93 | 1574 | 3392 | 1492 | 1771 | 1635 | 9864 |
| 1993–94 | 1744 | 1727 | 1569 | 1999 | 1824 | 8863 |
| 1994–95 | 754 | 841 | 1323 | 2227 | 1099 | 6244 |
| 1995–96 | 889 | 724 | 675 | 832 | 498 | 3618 |
| 1996–97 | 663 | 627 | 708 | 575 | 526 | 3099 |
| 1997–98 | 1782 | 1948 | 1127 | 1723 | 503 | 7083 |
| 1998–99 | 1963 | 1452 | 1151 | 921 | 359 | 5846 |
| 1999–00 | 750 | 832 | 453 | 777 | 280 | 3092 |
| 2000–01 | 706 | 845 | 259 | 470 | 285 | 2565 |
| 2001–02 | 1143 | 778 | 140 | 351 | 368 | 2780 |
| 2002–03 | 2768 | 659 | 213 | 462 | 806 | 4908 |
| 2003–04 | 567 | 91 | 130 | 142 | 106 | 1036 |
| 2004–05 | 913 | 837 | 116 | 287 | 608 | 2761 |
| 2005–06 | 3183 | 1646 | 419 | 378 | 586 | 6212 |
| 2006–07 | 1785 | 960 | 623 | 298 | 372 | 4038 |
| 2007–08 | 2233 | 953 | 588 | 749 | 1336 | 5859 |
| 2008–09 | 2549 | 1820 | 1106 | 1199 | 1225 | 7899 |
| 2009–10 | 2403 | 1742 | 945 | 532 | 388 | 6010 |
| 2010–11 | 2057 | 2385 | 1874 | 1007 | 585 | 7908 |
| 2011–12 | 1976 | 921 | 1234 | 770 | 536 | 5437 |
| 2012–13 | 1406 | 892 | 1168 | 701 | 544 | 4711 |
| 2013–14 | 1611 | 1449 | 1580 | 1145 | 522 | 6307 |
| 2014–15 | 3699 | 3326 | 2189 | 663 | 390 | 10267 |
| 2015–16 (माह दिस. 2015तक) | 802 | 706 | 324 | 592 | 363 | 2787 |
| योग | 77923 | 64487 | 39584 | 34435 | 21321 | 237750 |

## तालिका iii.c आवासों का आवंटन (आय वर्गवार/वर्षवार) (मण्डल की स्थापना से दिसम्बर 2015 तक)

| वर्ष | आ.दु.क वर्ग | अल्प आय वर्ग | मध्यम आय वर्ग (अ) | मध्यम आय वर्ग (ब) | उच्च आय वर्ग | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.1990 तक | 34929 | 27792 | 15256 | 11067 | 3524 | 92568 |
| 1990—91 | 748 | 1407 | 856 | 1081 | 691 | 4783 |
| 1991—92 | 1360 | 3159 | 1887 | 1943 | 1160 | 9509 |
| 1992—93 | 922 | 1756 | 1082 | 1423 | 1354 | 6537 |
| 1993—94 | 1904 | 2508 | 2136 | 2308 | 1799 | 10655 |
| 1994—95 | 335 | 594 | 435 | 928 | 485 | 2777 |
| 1995—96 | 1394 | 1206 | 388 | 839 | 591 | 4418 |
| 1996—97 | 781 | 476 | 566 | 193 | 440 | 2456 |
| 1997—98 | 1167 | 957 | 631 | 530 | 223 | 3508 |
| 1998—99 | 1820 | 680 | 1058 | 992 | 481 | 5031 |
| 1999—00 | 1800 | 1439 | 551 | 1180 | 560 | 5530 |
| 2000—01 | 742 | 1539 | 596 | 753 | 380 | 4010 |
| 2001—02 | 922 | 759 | 392 | 635 | 514 | 3222 |
| 2002—03 | 825 | 693 | 245 | 335 | 505 | 2603 |
| 2003—04 | 2902 | 595 | 215 | 596 | 215 | 4523 |
| 2004—05 | 889 | 870 | 526 | 954 | 655 | 3894 |
| 2005—06 | 2912 | 2281 | 531 | 590 | 821 | 7135 |
| 2006—07 | 2053 | 1170 | 746 | 407 | 483 | 4859 |
| 2007—08 | 3331 | 1550 | 963 | 951 | 1491 | 8286 |
| 2008—09 | 2068 | 1952 | 1078 | 724 | 1051 | 6873 |
| 2009—10 | 2021 | 1362 | 1423 | 1136 | 900 | 6842 |
| 2010—11 | 2497 | 2666 | 2067 | 972 | 695 | 8897 |
| 2011—12 | 2714 | 1313 | 1611 | 1141 | 706 | 7485 |
| 2012—13 | 894 | 728 | 1127 | 857 | 427 | 4033 |
| 2013—14 | 3160 | 2825 | 1847 | 843 | 424 | 9099 |
| 2014—15 | 2047 | 2366 | 1025 | 808 | 437 | 6683 |
| 2015—16 (माह दिस. 2015तक) | 675 | 1088 | 671 | 516 | 175 | 3125 |
| योग | 77812 | 65731 | 39909 | 34702 | 21187 | 239341 |

तालिका iii.d आवासों का कब्जा देना (आय वर्गानुसार/वर्षवार) (मण्डल की स्थापना से दिसम्बर 2015 तक)

| वर्ष | आ.दु.क. वर्ग | अल्प आय वर्ग | मध्यम आय वर्ग (अ) | मध्यम आय वर्ग (ब) | उच्च आय वर्ग | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.1990 तक | 31323 | 25700 | 12717 | 8825 | 3065 | 81630 |
| 1990—91 | 1050 | 1277 | 1410 | 1333 | 459 | 5529 |
| 1991—92 | 1986 | 2030 | 1598 | 1462 | 540 | 7616 |
| 1992—93 | 1198 | 1556 | 1195 | 1377 | 766 | 6092 |
| 1993—94 | 220 | 582 | 1167 | 1076 | 933 | 3978 |
| 1994—95 | 264 | 756 | 760 | 1501 | 1143 | 4424 |
| 1995—96 | 1854 | 1733 | 966 | 1141 | 1036 | 6730 |
| 1996—97 | 1727 | 1384 | 891 | 1095 | 788 | 5885 |
| 1997—98 | 1356 | 1031 | 723 | 790 | 471 | 4371 |
| 1998—99 | 684 | 809 | 563 | 431 | 335 | 2822 |
| 1999—00 | 1253 | 834 | 628 | 819 | 450 | 3984 |
| 2000—01 | 1147 | 1542 | 872 | 1586 | 728 | 5875 |
| 2001—02 | 1253 | 1403 | 739 | 866 | 616 | 4877 |
| 2002—03 | 1143 | 980 | 451 | 550 | 682 | 3806 |
| 2003—04 | 2857 | 1488 | 543 | 778 | 335 | 6001 |
| 2004—05 | 2321 | 1719 | 658 | 868 | 360 | 5926 |
| 2005—06 | 1332 | 1303 | 652 | 963 | 791 | 5041 |
| 2006—07 | 3111 | 2449 | 712 | 546 | 557 | 7375 |
| 2007—08 | 1484 | 840 | 710 | 692 | 791 | 4517 |
| 2008—09 | 2496 | 1025 | 829 | 600 | 969 | 5919 |
| 2009—10 | 1417 | 1090 | 745 | 535 | 674 | 4461 |
| 2010—11 | 1568 | 1057 | 885 | 763 | 912 | 5185 |
| 2011—12 | 2119 | 2458 | 1673 | 1225 | 891 | 8366 |
| 2012—13 | 1841 | 1180 | 1411 | 985 | 686 | 6103 |
| 2013—14 | 1938 | 935 | 911 | 720 | 495 | 4999 |
| 2014—15 | 1416 | 1354 | 1315 | 725 | 348 | 5158 |
| 2015—16 (माह दिस. 2015तक) | 1374 | 1358 | 798 | 349 | 199 | 4078 |
| योग | 71732 | 59873 | 36522 | 32601 | 20020 | 220748 |

तालिका iv.a धारा–27 व 4(1) के प्रस्ताव भेजे जाने पर राज्य सरकार द्वारा नवीन अधिनियम के तहत प्रस्ताव चाहे जाने के कारण मण्डल स्तर पर धारा–11(1) के अंतर्गत लम्बित प्रकरणों की सूची

दिनांक 31.12.2015 तक

| क्रं. सं. | योजना का नाम | रकबा (हैक्टेयर) |
|---|---|---|
| 1 | ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर | 674.97 |
| 2 | ग्रम खोनागोरियान / भावगढ बन्धा त0 सांगानेर जिला जयपुर | 72.02 |
| 3 | ग्राम उदयपुर गिलरिया एवं टोडी रमजानीपुरा, इन्दिरा गांधी नगर जगतपुरा, जयपुर | 108.64 |
| 4 | हनुमान नगर, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाडा | 22.88 |
| 5. | ग्राम नान्दडा कलां, उचियारडा, बासनीनिकुम्बा, जालेली फौजदारान एवं सोढेर की ढाणी, तहसील व जिला जोधपुर | 851.76 |
| 6. | ग्राम मोगडाकला, तनावडा एवं भांकरासनी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर | 465.04 |
| 7 | पाली | 125.85 |
| 8 | ग्राम कोहला, हनुमानगढ | 107.525 |
| 9 | ग्राम छत्रपुरा–बूंदी, जिला बूंदी | 74.22 |
| 10 | सैंती, जिला चितौडगढ | 20.21 |
| 11 | ग्राम ढोली बासनी, सिलावटान, जोधपुर | 728.48 |
| 12 | रेनवाल, फेज–द्वितीय | 894.18 |
| 13 | फागी, जिला जयपुर | 142.02 |
| 14 | ग्राम सिरोली, तहसील सांगानेर छूटे हुये खसरा नं. | 6.44 |
| 15 | महला–चाणचुक्या, जयपुर | 175.13 |
| 16 | ग्राम थडा, तहसील तिजारा (भिवाडी) | 50.56 |
| 17 | ग्राम नैनसुख बहरोड, तहसील बहरोड, जिला अलवर | 46.44 |
| 18 | शंकरपुरा, तहसील राजसमन्द | 162.45 |
| 19 | बहरोड उर्फ बलराम, तहसील बहरोड | 55.01 |
| 20 | ग्राम नीम का थाना, जिला सीकर | 47.51 |
| | योग | 4831.335 |

तालिका **iv.b** राज्य सरकार के स्तर पर धारा–11(1) के अंतर्गत लम्बित प्रकरणों की सूची

दिनांक 31.12.2015 तक

| क्रं.सं. | योजना का नाम | रकबा (हैक्टेयर) |
|---|---|---|
| 1 | ग्राम जाजेकलां व जाजेखुर्द, शाहपुरा, जयपुर | 142.8687 |
| 2 | ढीकली व वाडा, जिला उदयपुर | 193.5063 |
| 3. | ग्राम माकडवाली, तहसील व जिला अजमेर | 116.51 |
| 4 | सुवाणा, तहसील व जिला भीलवाडा | 6.53 |
| | योग | **459.415** |

तालिका **iv.c** विशेषाधिकारी स्तर पर प्रक्रियाधीन भूमि अवाप्ति के प्रकरण

दिनांक 31.12.2015 तक

| क्रं. सं. | योजना का नाम | रकबा (हैक्टेयर) |
|---|---|---|
| 1. | पाली चक नं. 1 | 17.59 |
| 2 | मौजा बांसवाडा | 29.26 |
| 3 | बंदापुर, फलसा, भूडली, हुसेपुर, तहसील तिजारा, अलवर | 71.21 |
| 4 | सेवरकला, भरतपुर | 76.00 |
| 5 | नवाडेरा, ग्राम उदेपुरा, जिला डूंगरपुर | 35.28 |
| 6 | सेवारामपुरा, टोंक | 151.64 |
| 7 | ग्राम 2 एमएल व चक 7 ई छोटी, श्रीगंगानगर | 51.445 |
| 8 | पुष्कर, अजमेर | 0.88 |
| 9 | लक्ष्मणपुरा, गोवाडी, तहसील सागवाडा, जिला डूंगरपुर | 1.25 |
| 10 | गोपालपुरा, तहसील व जिला बारां | 14.63 |
| 11 | चकगर्बी मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर | 11.69 |
| 12 | सिरोली सांगानेर | 329.17 |
| 13 | डांगावास, मेडतासिटी, जिला नागौर | 26.33 |
| 14 | देवाली गोवर्धन विलास, उदयपुर | 21.75 |
| | योग | **838.125** |

## तालिका V.a स्वीकृत–कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण

**Posts Sanctioned / Existing And Vacant, Dec - 2015**

| S. No. | Name of Post | San. | Exis. | Vac. | Excess | On Dep. | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| REGULAR EMPLOYEE | | | | | | | |
| 1. | CHAIRMAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Add. Charge |
| 2. | H.COMMISSIONER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | SECRETARY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | CHIEF ENGINEER | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 5. | F.A.& C.A.O. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | DIRECTOR LAW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | ADDL. C. E. | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 8. | A.C.T.P. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | C.E.M. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | SR.TOWN PLANNER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | DY.H.C. | 14 | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 AVL, 1 UIT KOTA |
| 12. | DY. SECRETARY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | SR.P.M. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14. | SR.ACCOUNTS OFFICER | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 15. | Dy. FINANCE ADVISOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | RESIDENT ENGINEER | 61 | 22 | 39 | 0 | 2 | 1 AVL, 1 UIT KOTA |
| 17. | PRIVATE SECRETARY | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | O.S.D. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19. | DY.TOWN PLANNER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 20. | JOINT DIRECTOR (S.A.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | A.O. | 15 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 AVL |
| 22. | ASSTT. ARCHI. / A.T.P. | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 23. | ESTATE MANAGER | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | PERSONAL MANAGER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 25. | ASSTT. SECY. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | A.L.R. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | PROJECT ENGINEER (SR) | 377 | 238 | 139 | 0 | 12 | (AVL-08, JDA 3, N N 1) |
| 28. | A.A.O. | 26 | 22 | 4 | 0 | 1 | AVL |
| 29. | A.H.O. | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. | Sr. L.O. | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |

| S. No. | Name of Post | San. | Exis. | Vac. | Excess | On Dep. | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 31. | L.A.O. / TEHSILDAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 32. | Add. P.S. | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | AVL |
| 33. | PROGRAMMER | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 34. | P.R.O. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 35. | ACCOUNTANT | 64 | 46 | 18 | 0 | 2 | AVL |
| 36. | ARCHI. ASSTT. / T.P.A. | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 37. | ASSTT.LAO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 38. | OFFICE SUPERINTENDENT | 33 | 28 | 5 | 0 | 0 | |
| 39. | P.A. | 35 | 29 | 6 | 0 | 1 | AVL |
| 40. | ASSISTANT | 90 | 76 | 14 | 0 | 0 | |
| 41. | ST.ASSTT. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 42. | GARDEN INSPECTOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 43. | JR. ACCOUNTANT | 202 | 79 | 123 | 0 | 2 | AVL |
| 44. | LAND INSPECTOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 45. | LEGAL ASSISTANT/ Jr. L.O. | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | |
| 46. | PROJECT ENGINEER (JR) | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | |
| 47. | SR. DM | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | |
| 48. | JR. DM | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | |
| 49. | PLUMBER GR-I | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 50. | ASSTT. PROGMMER | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | |
| 51. | DEO / INFORMATION ASSTT. | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | |
| 52. | LAB. ASSTT. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 53. | DRIVER | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
| 54. | JR.ASSISTANT | 270 | 225 | 45 | 0 | 2 | AVL |
| 55. | TELEPHONE OPR. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 56. | TRACER | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 57. | FERO PRINTER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 58. | F. CUM R/KEEPER | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 59. | GARDENER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 60. | MACHINE MAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 61. | JAMADAR | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| 62. | HELPER | 227 | 184 | 43 | 0 | 2 | AVL-2 |
| 63. | SWEEPER | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Total** | **1668** | **1115** | **553** | **0** | **28** | |

## तालिका V.b स्वीकृत–कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण

**Post Sanctioned / Existing And Vacant, Dec-2015**
**WORK CHARGE STAFF (REGULARISED)**

| S.No. | Name of Post | San. | Exis. | Vac. | Excess | On Dep. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPERVISIOR (Sr.) | 62 | 14 | 48 | 0 | |
| 2 | SUPERVISIOR | 115 | 47 | 68 | 0 | |
| 3 | SUPERVISIOR (Jr.) | 162 | 104 | 58 | 0 | |
| 4 | FITTER | 27 | 15 | 12 | 0 | |
| 5 | ELECTRICIAN | 30 | 16 | 14 | 0 | |
| 6 | CARPENTER | 15 | 6 | 9 | 0 | |
| 7 | MASSON | 31 | 14 | 17 | 0 | |
| 8 | GARDNER | 12 | 2 | 10 | 0 | |
| 9 | CHOKIDAR | 31 | 13 | 18 | 0 | |
| 10 | HELPER GARDNER | 15 | 16 | 0 | 1 | |
| 11 | SWEEPER | 28 | 15 | 13 | 0 | |
| 12 | HELPER SKILLED | 70 | 31 | 39 | 0 | |
| 13 | HELPER UN-SKILLED | 155 | 149 | 6 | 0 | |
| **TOTAL POST** | | **753** | **442** | **312** | **1** | **0** |
| **GRAND TOTAL** | | **2421** | **1557** | **865** | **1** | **28** |

## तालिका vi. पुरस्कार

| वर्ष | पुरस्कार | पुरस्कृत करने वाली संस्था | उपलब्धि जिसके लिये पुरस्कार दिया गया |
|---|---|---|---|
| 1982 | सर एम. विश्वैश्वरैया पुरस्कार | हुडको एवं हरि ओम आश्रम टस्ट्र, नाडियाद | वर्ष 1982 में जोधपुर में 398 आवासों के निर्माण हेतु |
| | (अ) द्वितीय पुरस्कार | | |
| | (ब) तृतीय पुरस्कार | | वर्ष 1982 में अलवर में 402 आवासों के निर्माण हेतु |
| | (स) तृतीय पुरस्कार | | वर्ष 1982 में कोटा में 426 आवासों के निर्माण हेतु |
| 1983 | वार्षिक रोटेशनल ट्राफी | हुडको | जोधपुर की मधुवन एवं चौपासनी रोड़ फेज–7 योजना के लिये बेहतर साईट्स एवं सेवाओं के लिये |
| 1985 | सर एम. विश्वैश्वरैया पुरस्कार | हुडको एवं हरि ओम आश्रम टस्ट्र, नाडियाद | मानसरोवर योजना, जयपुर मे 385 आवासों के निर्माण के लिये |
| | प्रथम पुरस्कार | | |
| 1992 | कम लागत के आवास प्रतियोगिता (शहरी) | हरि ओम आश्रम टस्ट्र, नाडियाद | मधुवन स्कीम जोधपुर में अल्प आय वर्ग अवासों के निर्माण के लिये |
| 1994 | प्रशंसा–उत्कृष्ठ कार्य सम्पादन | हुडको | आवासन मण्डल की स्थापना से किये गये उत्कृष्ठ कार्य सम्पादन के लिये (1970–93) |
| 1994 | प्रशंसा–अतिविशिष्ठ कार्य सम्पादन | हुडको | हुड़को से आवासन मण्डल के लगातार जुड़ाव एवं अतिविशिष्ठ कार्य सम्पादन के लिये |
| 2010 | इंडिया प्राईड अवार्ड–2010 | एस. कुमार नेशनवाईड लि. (सामूहिक प्रायोजक: दैनिक भास्कर एवं DNA समूह) | गरीब तबके की सुविधाओं हेतु नवाचार एवं उच्च गुणवत्ता के आवास निर्माण के लिये |
| 2011 | विश्वकर्मा अवार्ड–2011 | सी.आई.डीसी, नई दिल्ली | समाजिक दायित्व की श्रेणी में उदाहरणीय सेवाओं एवं नवाचारों के लिये |
| 2013 | आईएसओ प्रमाण पत्र 9001–2008 | ए.सी.एस प्रा.लि. | प्रबन्धकीय कार्य गुणवता हेतु ISO 9001–2008 प्रमाण पत्र |
| 2014 | मास हाउसिंग–पब्लिक | नेशनल रियल इस्टेट डवलपमेन्ट काउन्सिल नई दिल्ली (NARDCO) | मास हाउसिंग क्षेत्र में विशिष्ठ उपलब्धि हेतु |

## तालिका vii. मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय की ई–मेल सूची

| क्र.सं. | नाम | पद | ई–मेल आईडी |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री अशोक जैन | अध्यक्ष | chairman@rhbmail.in |
| 2 | श्री ओम प्रकाश सैनी | आवासन आयुक्त | housingcomm@rhbmail.in |
| 3 | श्री शंकर लाल कुमावत | सचिव | secy@rhbmail.in |
| 4 | श्री के.सी. मीणा (अति. प्रभार) | मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) | cehq@rhbmail.in |
| 5 | श्री के.सी. मीणा | मुख्य अभियन्ता (प्रथम) | ce1@rhbmail.in |
| 4 | श्री जी.एस. बाघेला | मुख्य अभियन्ता (द्वितीय) | ce@rhbmail.in |
| 5 | श्री नरेन्द्र धुन्ना | वित्तीय सलाहकार | fa@rhbmail.in |
| 6 | श्रीमती आरती बागोटिया | उप वित्तीय सलाहकार | |
| 7 | श्री विक्रम प्रकाश शर्मा | निदेशक (विधि) | dirlaw@rhbmail.in |
| 8 | श्री नत्थूराम | अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम | ace1@rhbmail.in |
| 10 | श्री के. के. माथुर | अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–द्वितीय | ace2@rhbmail.in |
| 11 | श्री वी. के. माथुर (अति. प्रभार) | अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–तृतीय | ace3@rhbmail.in |
| 12 | श्री नत्थूराम (अति. प्रभार) | अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता एवं अध्यक्ष, आवास विकास संस्थान अवसायन समिति | ace-avslc@rhbmail.in |
| 13 | श्री मुकेश मित्तल (अति. प्रभार) | अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक | asactp@rhbmail.in |
| 14 | श्रीमती श्रुति भारद्वाज | मुख्य सम्पदा प्रबन्धक | cem@rhbmail.in |
| 15 | श्री | तकनीकी सहायक, अध्यक्ष | ta2cm@rhbmail.in |
| 16 | श्री के. ओम पुरोहित | तकनीकी सहायक, आवासन आयुक्त | ta2hc@rhbmail.in |
| 17 | श्री वी. के. माथुर | तकनीकी सहायक, मुख्य अभियन्ता | ta2ce@rhbmail.in |
| 18 | श्री अनिल कुमार रावत | उप आवासन आयुक्त (गुणवत्ता नियंत्रण) | dheqc@rhbmail.in |
| 19 | श्री राधे प्रताप सिंह | उप सचिव | dysecy@rhbmail.in |
| 20 | श्री संदीप गर्ग | आवासीय अभियन्ता गुणवत्ता नियंत्रण–प्रथम जयपुर | rejprqc1@rhbmail.in |
| 21 | श्री एच. आर. नवल | आवासीय अभियन्ता गुणवत्ता नियंत्रण–II जयपुर | rejprqc2@rhbmail.in |

| क्र.सं. | नाम | पद | ई–मेल आईडी |
|---|---|---|---|
| 22 | श्री जगराम कुलडिया (अति. प्रभार) | आवासीय अभियन्ता (मुख्यालय) | replan@rhbmail.in |
| 23 | श्री एच. डी. माथुर (अति. प्रभार) | संयुक्त निदेशक (System Anaylist ) | acpsys@rhbmail.in |
| 24 | श्री मृणाल जोशी | वरिष्ठ नगर नियोजक | dtp@rhbmail.in |
| 25 | श्री विनय कुमार शर्मा | आवासीय अभियन्ता (विद्युत) | reelect@rhbmail.in |
| 26 | श्रीमती संतोष गुप्ता | सम्पदा प्रबन्धक (रिकॉर्ड) | centrecords@rhbmail.in |
| 27 | श्री अनिल कुमार कौशिक (अति. प्रभार) | विशेषाधिकारी (भूमि) | osdland@rhbmail.in |
| 28 | श्री आई. एम दानोदिया (अति. प्रभार) | वरिष्ठ लेखाधिकारी–प्रथम | sao1@rhbmail.in |
| 29 | श्री आई.एम दानोदियाँ | वरिष्ठ लेखाधिकारी–द्वितीय | sao2@rhbmail.in |
| 30 | श्री सी.एस. शर्मा | वरिष्ठ लेखाधिकारी (पी.एफ. व पेन्शन) | sraogpf@rhbmail.in |
| 31 | श्री अरूण जोशी | सहायक निदेशक जनसम्पर्क | pro@rhbmail.in |
| 32 | श्री आर.एस. निर्वाण | निजी सचिव, अध्यक्ष | ps2cm@rhbmail.in |
| 33 | श्री | निजी सचिव, आवासन आयुक्त | ps2hc@rhbmail.in |
| 34 | श्री मुकेश कुमार ठोलिया | लेखाधिकारी (भुगतान) | aopayment@rhbmail.in |
| 35 | श्री आर. पी. अग्रे | सहायक लेखाधिकारी (स्टोर) | centstores@rhbmail.in |
| 36 | श्री अरूण शर्मा | अति. निजी सचिव–आवासन आयुक्त | pa2hc@rhbmail.in |
| 37 | सामान्य मेल | | info@rhbmail.in |
| 38 | श्री गुलाबा राम मोची | तकनीकी सहायक अति. मु.अभि.–प्रथम जयपुर | ta2ace1@rhbmail.in |
| 39 | श्री आर. सी. रायल | तकनीकी सहायक अति. मु.अभि.–द्वितीय जयपुर | ta2ace2@rhbmail.in |
| 40 | श्री टी.एस. मीणा | तकनीकी सहायक अति. मु.अभि.–तृतीय जयपुर | ta2ace3@rhbmail.in |
| | | **जयपुर वृत्त–प्रथम** | |
| 41 | श्री कल्याण प्रसाद | उप आवासन आयुक्त | dhcjpr1@rhbmail.in |
| 42 | श्री अनिल कुमार गोयल | तकनीकी सहायक, उप आवासन आयुक्त | ta2dhcjpr1@rhbmail.in |
| 43 | श्री ऐ. के. मल्होत्रा (अति. प्रभार) | आवासीय अभियन्ता खण्ड–III | rejpr3@rhbmail.in |

| क्र.सं. | नाम | पद | ई–मेल आईडी |
|---|---|---|---|
| 44 | श्री आर. सी. जैन | आवासीय अभियन्ता खण्ड–IV | rejpr4@rhbmail.in |
| 45 | श्री अमित अग्रवाल | आवासीय अभियन्ता खण्ड–V | rejpr5@rhbmail.in |
| 46 | श्री एम. एस. हाडा (अति. प्रभार) | आवासीय अभियन्ता खण्ड–X | rejpr10@rhbmail.in |
| 47 | श्री डी. के. गर्ग | आवासीय अभियन्ता खण्ड–XII | rejpr12@rhbmail.in |
| जयपुर वृत्त–द्वितीय | | | |
| 48 | श्री सीता राम बरी | उप आवासन आयुक्त–II | dhcjpr2@rhbmail.in |
| 49 | श्री आर. एस. दुहान | तकनीकी सहायक, उप आवासन आयुक्त | ta2dhcjpr2@rhbmail.in |
| 50 | श्री विजय अग्रवाल | आवासीय अभियन्ता खण्ड–VI | rejpr6@rhbmail.in |
| 51 | श्री चन्द्र भान चुग | आवासीय अभियन्ता खण्ड–IX | rejpr9@rhbmail.in |
| 52 | श्री मुकेश मीणा | पी.एच.ई.–I | rejprphe1@rhbmail.in |
| 53 | श्री करणराज जीणगर | आवासीय अभियन्ता खण्ड–अजमेर | reajmer@rhbmail.in |
| 54 | श्री हाकम चन्द पंवार | आवासीय अभियन्ता खण्ड–झुंझुंनू | rejhunjhunu@rhbmail.in |
| जयपुर वृत्त–तृतीय | | | |
| 55 | श्री मनोज गुप्ता (अति. प्रभार) | उप आवासन आयुक्त | dhcjpr3@rhbmail.in |
| 56 | श्री एस. एन. द्विवेदी | तकनीकी सहायक, उप आवासन आयुक्त | ta2dhcjpr3@rhbmail.in |
| 57 | श्री मनीराम बडगुजर | आवासीय अभियन्ता खण्ड–I | rejpr1@rhbmail.in |
| 58 | श्री जे. एस. बुगालिया | आवासीय अभियन्ता खण्ड–II | rejpr2@rhbmail.in |
| 59 | श्री मनोज गुप्ता | आवासीय अभियन्ता खण्ड–XI | rejpr11@rhbmail.in |
| 60 | श्री विनित कुमार सक्सैना | आवासीय अभियन्ता खण्ड–XIII | rejpr13@rhbmail.in |
| 61 | श्री हरिकृष्ण अग्रवाल | आवासीय अभियन्ता पी.एच.ई–द्वितीय | rejprphe2@rhbmail.in |

| क्र.सं. | नाम | पद | ई–मेल आईडी |
|---|---|---|---|
| 62 | श्री सर्वजीत सिंह | आवासीय अभियन्ता खण्ड–दौसा | redausa@rhbmail.in |
| अलवर वृत्त | | | |
| 63 | श्री ईश्वर रंगनानी | उप आवासन आयुक्त | dhcalwar@rhbmail.in |
| 64 | श्री | तकनीकी सहायक, उप आवासन आयुक्त | ta2dhcalwar@rhbmail.in |
| 65 | श्री जे.एस. महावर | आवासीय अभियन्ता खण्ड– अलवर | realwar@rhbmail.in |
| 66 | श्री के.सी.ढाका | आवासीय अभियन्ता खण्ड–भिवाड़ी | rebwd@rhbmail.in |
| 67 | श्री ओ.पी बैरवा | आवासीय अभियन्ता खण्ड–भरतपुर | rebharatpur@rhbmail.in |
| बीकानेर वृत्त | | | |
| 68 | श्री एम. सी. उपाध्याय | उप आवासन आयुक्त | dhcbikaner@rhbmail.in |
| 69 | श्री | तकनीकी सहायक, उप आवासन आयुक्त | ta2dhcbikaner@rhbmail.in |
| 70 | श्री आर. डी. गुप्ता | आवासीय अभियन्ता खण्ड–बीकानेर | rebkn1@rhbmail.in |
| 71 | श्री के. एस. चौधरी | आवासीय अभियन्ता खण्ड–नागौर | rebkn2@rhbmail.in |
| 72 | श्री टी. सी. सेवटा | आवासीय अभियन्ता खण्ड, हनुमानगढ़ | rehanumangarh@rhbmail.in |
| जोधपुर वृत्त–प्रथम | | | |
| 73 | श्री ऐ. के. भाटी | उप आवासन आयुक्त–I | dhcjodhpur1@rhbmail.in |
| 74 | श्री | तकनीकी सहायक, उप आवासन आयुक्त–I | ta2dhcjodhpur1@rhbmail.in |
| 75 | श्री नरेन्द्र बोहरा | आवासीय अभियनता खण्ड–II | rejdpr2@rhbmail.in |
| 76 | श्री आर. सी. रायल (अति. प्रभार) | आवासीय अभियन्ता खण्ड–III | rejdpr3@rhbmail.in |
| 77 | श्री एल. एल. गुरू | आवासीय अभियन्ता खण्ड–IV | rejdpr4@rhbmail.in |
| 78 | श्री नरेश चन्द्र माथुर | आवासीय अभियन्ता पी.एच.ई | rejdrphe@rhbmail.in |

| क्र.सं. | नाम | पद | ई–मेल आईडी |
| --- | --- | --- | --- |
| 79 | श्री भजन लाल गुणपाल | आवासीय अभियन्ता गुणवत्ता नियंत्रण | rejdprqc@rhbmail.in |
| | | जोधपुर वृत्त–द्वितीय | |
| 80 | श्री नरेन्द्र बोहरा (अति. प्रभार) | उप आवासन आयुक्त–II | dhcjdpr2@rhbmail.in |
| 81 | श्री | तकनीकी सहायक, उप आवासन आयुक्त | ta2dhcjdpr2@rhbmail.in |
| 82 | श्री सी. आर. दीपन | आवासीय अभियन्ता खण्ड–प्रथम | rejdpr1@rhbmail.in |
| 83 | श्री हनुमान सिंह बरफा | आवासीय अभियन्ता खण्ड–पाली | repali@rhbmail.in |
| 84 | श्री सांवल राम | आवासीय अभियन्ता खण्ड–बाडमेर | rejaisalmer@rhbmail.in |
| | | कोटा वृत्त | |
| 85 | श्री ए.ए.खान | उप आवासन आयुक्त | dhckota@rhbmail.in |
| 86 | श्री आर. पी. गुप्ता | तकनीकी सहायक, उप आवासन आयुक्त | ta2dhckota@rhbmail.in |
| 87 | श्री मनमोहन सिंह | आवासीय अभियन्ता–कोटा | rekota@rhbmail.in |
| 88 | श्री आर. पी. गुप्ता (अति. प्रभार) | आवासीय अभियन्ता–बारां | rebaran@rhbmail.in |
| | | उदयपुर वृत्त | |
| 89 | श्री एम.एम. माथुर | उप आवासन आयुक्त | dhcudpr@rhbmail.in |
| 90 | श्री डी. सी. माथुर (अति. प्रभार) | तकनीकी सहायक, उप आवासन आयुक्त | ta2dhcudpr@rhbmail.in |
| 91 | श्री सुनील नारायण माथुर | आवासीय अभियन्ता खण्ड–प्रथम | reudpr1@rhbmail.in |
| 92 | श्री के. आर. परिहार | आवासीय अभियन्ता खण्ड–द्वितीय | reudpr2@rhbmail.in |
| 93 | श्री के. एन. माथुर (अति. प्रभार) | आवासीय अभियन्ता खण्ड–भीलवाडा | rebhilwara@rhbmail.in |
| 94 | श्री गजानन्द सामरिया | आवासीय अभियन्ता खण्ड–चित्तौडगढ | rechittorgarh@rhbmail.in |
| 95 | श्री पी.के दुग्गल | आवासीय अभियन्ता खण्ड–डूंगरपुर | redungarpur@rhbmail.in |

## तालिका viii. राज्य सरकार की जिला स्तरीय बैठकों, सूचनाओं एवं विडियो कान्फ्रेसिंग हेतु आवासन मण्डल के नोडल अधिकारियों की सूची

| क्र. सं. | जिला | नोडल अधिकारी का नाम पद नाम, पदस्थापन एवं मोबाईल नम्बर | | | | कार्यालय का पता एवं दूरभाष नं. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | नाम | पद नाम | पदस्थापन | मोबाइल नम्बर | कार्यालय का पता | दूरभाष नम्बर |
| 1 | अजमेर | श्री करणराज जोनगर | आवासीय अभियन्ता | खण्ड–अजमेर | 99822–29647 | कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड–अजमेर वैशाली नगर, अजमेर | 141–2641894 |
| 2 | अलवर | श्री ईश्वर रंगनानी | उप आवासन आयुक्त | वृत्त –अलवर | 99826–09479 | वृत्त कार्यालय उप आवासन आयुक्त,मनु मार्ग, बस स्टैण्ड के पास प्रताप नगर कॉलोनी सीईबी, अलवर | 0144–2332612 |
| 3 | बांसवाड़ा | श्री पी.के दुग्गल | आवासीय अभियन्ता | खण्ड–डूंगरपुर | 99839–93892 | कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड–डूंगरपुर शिवाजी नगर, डूंगरपुर | 02964–232288 |
| 4 | बारां | श्री आर.पी. गुप्ता | आवासीय अभियन्ता | खण्ड–बारां | 99839–93883 | कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड–बारां वन विभाग के सामने बारां | |
| 5 | बाड़मेर | श्री सांवल राम | आवासीय अभियन्ता | खण्ड–बाड़मेर | 99826–09494 | कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड–जैसलमेर जेठवाई रोड किशन घाट, जैसलमेर | 02992–254820 |
| 6 | भरतपुर | श्री ओ.पी. बैरवा | आवासीय अभियन्ता | खण्ड–भरतपुर | 98285–51606 | कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड–भरतपुर, 2–ए–1, एसटीडी कॉलानी, भरतपुर | 05644–223672 |
| 7 | भीलवाड़ा | श्री के. एन. माथुर | आवासीय अभियन्ता | खण्ड–भीलवाड़ा | 99839–93853 | कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड–भीलवाड़ा, आर.के कॉलोनी, भीलवाड़ा | 01462–220312 |
| 8 | बीकानेर | श्री एम. सी. उपाध्याय | उप आवासन आयुक्त | वृत बीकानेर | 99826–09496 | वृत्त कार्यालय उप आवासन आयुक्त, सैक्टर–4 मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर | 0151–2226971 |
| 9 | बूंदी | श्री एम. एम. सिंह | आवासीय अभियन्ता | खण्ड–कोटा | 98281–09478 | कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड–कोटा नगर विकास न्यास के पीछे,सी.एडी. सर्किल, कोटा | 0744–2500911 |
| 10 | चित्तौड़गढ़ | श्री गजानन्द सामरिया | आवासीय अभियन्ता | खण्ड–चित्तौडगढ | 99839–93847 | कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड–चित्तौड़गढ़ 1–बी–48–49, सन्ती सागवा, चित्तौड़गढ़ | 01472–241163 |
| 11 | चुरू | श्री हाकम चन्द पंवार | आवासीय अभियन्ता | खण्ड–झुंझुनू | 99833–09405 | कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड–झुंझुनू, 2/3–4 पुरानी कॉलोनी, चुरू रोड, झुंझुनू | 01592–232319 |
| 12 | दौसा | श्री सर्वजीत सिंह | आवासीय अभियन्ता | खण्ड–दौसा | 99833–35573 | कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड–दौसा | 01427–223875 |

| क्र. सं. | जिला | नोडल अधिकारी का नाम पद नाम, पदस्थापन एवं मोबाईल नम्बर | | | | कार्यालय का पता एवं दूरभाष नं. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | नाम | पद नाम | पदस्थापन | मोबाइल नम्बर | कार्यालय का पता | दूरभाष नम्बर |
| | | | | | | 1/68 खानभाकरी रोड, दौसा | |
| 13 | धौलपुर | श्री ओ.पी. बैरवा | आवासीय अभियन्ता | खण्ड–भरतपुर | 98285–51606 | कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड–भरतपुर, 2–ए–1, एसटीडी कॉलानी, भरतपुर | 05644–223672 |
| 14 | डूंगरपुर | श्री पी.के दुग्गल | आवासीय अभियन्ता | खण्ड–डूंगरपुर | 99839–93892 | कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड–डूंगरपुर शिवाजी नगर, डूंगरपुर | 02964–232288 |
| 15 | हनुमानगढ | श्री टी. सी. सेवटा | आवासीय अभियन्ता | खण्ड–हनुमानगढ | 93281–09465 | कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड–हनुमानगढ, 9/58–59, हनुमानगढ | 01552–244318 |
| 16 | जयपुर | श्री कल्याण प्रसाद | उप आवासन आयुक्त | वृत्त–जयपुर प्रथम | | वृत्त कार्यालय उप आवासन आयुक्त, सैक्टर–5 प्रताप प्लॉजा, टांक रोड, जयपुर | 0141–29791320 |
| 17 | जैसलमेर | श्री सांवल राम | आवासीय अभियन्ता | खण्ड–बाडमेर | 99826–09494 | कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड–जैसलमेर जेठवाई रोड किशन घाट, जैसलमेर | 02992–254820 |
| 18 | जालौर | आवासन मण्डल की गतिविधियां संचालित नहीं है। | | | | | |
| 19 | झालवाड | श्री एम. एम. सिंह | आवासीय अभियन्ता | खण्ड–कोटा | 98281–09478 | कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड–कोटा नगर विकास न्यास के पीछे,सी.एडी. सर्किल, कोटा | 0744–2500911 |
| 20 | झुंझुनू | श्री हाकम चन्द पंवार | आवासीय अभियन्ता | खण्ड–झुंझुनू | 99833–09405 | कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड–झुंझुनू, 2/3–4 पुरानी कॉलोनी, चुरू रोड, झुंझुनू | 01592–232319 |
| 21 | जोधपुर | श्री ऐ. के. भाटी | उप आवासन आयुक्त | वृत्त–जोधपुर प्रथम | 98281–09429 | वृत्त कार्यालय उप आवासन आयुक्त, सैक्टर–11, चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर | 0291–2700874 |
| 22 | करौली | आवासन मण्डल की गतिविधियां संचालित नहीं है। | | | | | |
| 23 | कोटा | श्री ए.ए.खान | उप आवासन आयुक्त | वृत्त कोटा | 98281–09443 | वृत्त कार्यालय उप आवासन आयुक्त, नगर विकास न्यास के पीछे,सी.एडी. सर्किल, कोटा | 0744–2500721 |
| 24 | नागौर | श्री के. एस. चौधरी | आवासीय अभियन्ता | खण्ड–नागौर | 99833–09407 | कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड–द्वितीय बीकानेर मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर | 0151–2226973 |
| 25 | पाली | श्री हनुमान सिंह बरफा | आवासीय अभियन्ता | खण्ड–पाली | 99833–11875 | कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड–पाली, जोधपुर रोड, पाली | 02932–256371 |
| 26 | प्रतापगढ | श्री गजानन्द सामरिया | आवासीय अभियन्ता | खण्ड– चित्तौडगढ | 99839–93847 | कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड–चित्तौडगढ 1–बी–48–49, सन्ती सागवा, चित्तौडगढ | 01472–241163 |

| क्र. सं. | जिला | नोडल अधिकारी का नाम पद नाम, पदस्थापन एवं मोबाईल नम्बर | | | | कार्यालय का पता एवं दूरभाष नं. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | नाम | पद नाम | पदस्थापन | मोबाइल नम्बर | कार्यालय का पता | दूरभाष नम्बर |
| 27 | राजसमन्द | श्री के. आर. परिहार | आवासीय अभियन्ता | खण्ड–उदयपुर द्वितीय | 96281–09423 | कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड–द्वितीय उदयपुर सैक्टर–11 हिरण मगरी, उदयपुर | 0294–2583108 |
| 28 | सवाई माधोपुर | श्री सर्वजीत सिंह | आवासीय अभियन्ता | खण्ड–दौसा | 99833–35573 | कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड–दौसा 1/68 खानभाकरी रोड, दौसा | 01427–223875 |
| 29 | सीकर | श्री हाकम चन्द पंवार | आवासीय अभियन्ता | खण्ड–झुंझुनू | 99833–09405 | कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड–झुंझुनू, 2/3–4 पुरानी कॉलोनी, चुरू रोड, झुंझुनू | 01592–232319 |
| 30 | सिरोही | श्री हनुमान सिंह बरफा | आवासीय अभियन्ता | खण्ड–पाली | 99833–11875 | कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड–पाली, जोधपुर रोड, पाली | 02932–256371 |
| 31 | श्रीगंगानगर | श्री टी. सी. सेवटा | आवासीय अभियन्ता | खण्ड–हनुमानगढ़ | 98281–09465 | कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड–हनुमानगढ़, 9/58–59, हनुमानगढ | 01552–244318 |
| 32 | टोंक | श्री विनित कुमार सक्सैना | आवासीय अभियन्ता | खण्ड–जयपुर तेरह | | कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड–गया सैक्टर–4 इंदिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर | 0141–2174831 |
| 33 | उदयपुर | श्री एम.एम. माथुर | उप आवासन आयुक्त | वृत्त–उदयपुर | 98281–09474 | वृत्त कार्यालय उप आवासन आयुक्त, सेक्टर–11 सलूम्बर सर्किल, हिरण मगरी, उदयपुर | 0294–2583327 |

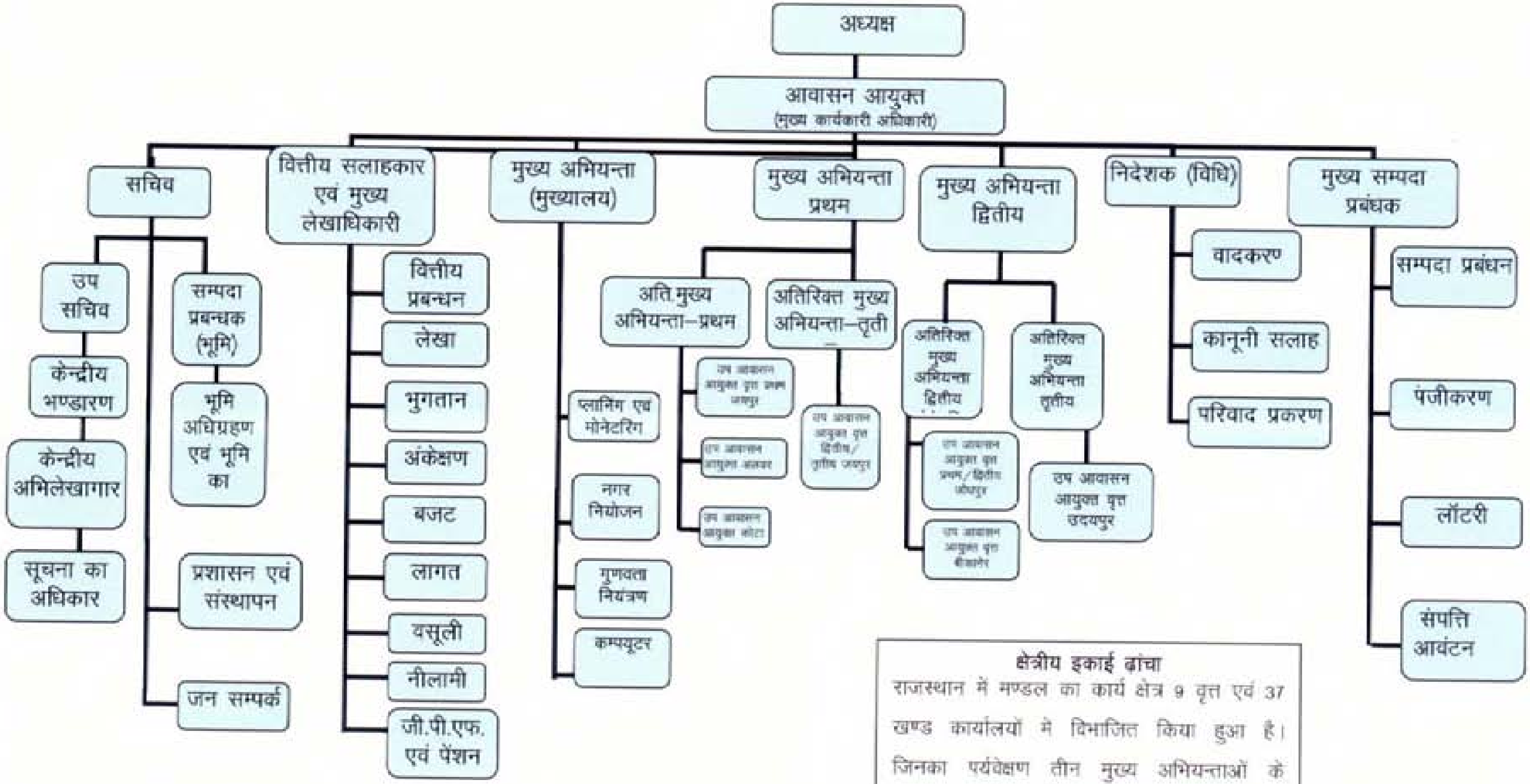


**क्षेत्रीय इकाई ढांचा**

राजस्थान में मण्डल का कार्य क्षेत्र 9 वृत्त एवं 37 खण्ड कार्यालयों मे विभाजित किया हुआ है। जिनका पर्यवेक्षण तीन मुख्य अभियन्ताओं के अध्यधीन व तीन अतिरिक्त मुख्य अभियन्ताओं द्वारा किया जाता है।

# तालिका X. अध्यक्ष एवं आवासन आयुक्त की पदस्थापना सूची

| 'अध्यक्ष' | | | | 'आवासन आयुक्त' | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नाम | | कब से | कब तक | नाम | | कब से | कब तक |
| श्री | डी.डी. पुरोहित | 24-Feb-1970 | 31-Mar-1978 | श्री | के.के. सरीन | 4-Jul-1970 | 22-Aug-1975 |
| श्री | जी.आर. हुकमानी | 1-Apr-1978 | 6-Mar-1980 | श्री | जे.एम. मल्होत्रा | 23-Aug-1975 | 22-Dec-1976 |
| श्री | के.एस. रस्तोगी (आइ.ए.एस.) | 7-Mar-1980 | 27-Mar-1980 | श्री | के.सी. मित्तल | 22-Dec-1976 | 30-Jun-1978 |
| श्री | आर.के. शास्त्री (आइ.ए.एस.) | 28-Mar-1980 | 5-Jan-1981 | श्री | आर.सी. पंचारिया | 1-Jul-1978 | 15-Dec-1978 |
| श्री | आई.जी. झिंगरन (आइ.ए.एस.) | 6-Jan-1981 | 12-Mar-1981 | श्री | अखयराज | 16-Dec-1978 | 5-Jun-1979 |
| श्री | ए.एल. रूंगटा (आइ.ए.एस.) | 13-Mar-1981 | 1-May-1981 | श्री | जे.एम. मल्होत्रा | 5-Jun-1979 | 15-Sep-1979 |
| श्री | मायाराम (आइ.ए.एस.) | 2-May-1981 | 9-Jun-1981 | श्री | आर. सी. पंचारिया | 15-Sep-1979 | 29-Oct-1979 |
| श्री | बी.टी. कल्ला | 10-Jun-1981 | 4-Aug-1981 | श्री | अखयराज | 29-Oct-1979 | 20-Jan-1981 |
| श्री | सतीश कुमार (आइ.ए.एस.) | 29-Aug-1981 | 2-Aug-1982 | श्री | एल.बी. बक्सी | 21-Jan-1981 | 12-Aug-1981 |
| श्री | रामनारायण चौधरी | 3-Aug-1982 | 28-Nov-1983 | श्री | अखयराज | 16-Aug-1981 | 3-Aug-1983 |
| श्री | के.के. सक्सेना (आइ.ए.एस.) | 28-Nov-1983 | 2-Aug-1985 | श्री | पी.के. लौरिया | 3-Aug-1983 | 27-Sep-1986 |
| श्री | (डॉ) आदर्श किशोर (आइ.ए.एस.) | 3-Jun-1985 | 28-May-1987 | श्री | अखयराज | 27-Sep-1986 | 21-Nov-1988 |
| श्री | पी.बी. माथुर (आइ.ए.एस.) | 29-May-1987 | 8-Jul-1987 | श्री | आर.एस. कुंभट (आइ.ए.एस.) | 21-Nov-1988 | 6-Sep-1989 |
| श्री | एम.एल. मेहता (आइ.ए.एस.) | 8-Jul-1987 | 15-Sep-1988 | श्री | पी.के. लौरिया | 13-Sep-1989 | 1-Jan-1990 |
| श्री | श्रीराम गोटेवाला | 15-Jun-1988 | 6-Mar-1990 | श्री | एस. के. मुखर्जी | 1-Jan-1990 | 31-Dec-1990 |
| श्री | पी.एन. भण्डारी (आइ.ए.एस.) | 6-Mar-1990 | 8-Apr-1990 | श्री | एस.एल. जोशी | 1-Jan-1991 | 31-Aug-1992 |
| श्री | चन्द्रप्रकाश (आइ.ए.एस.) | 9-Apr-1990 | 2-Jul-1991 | श्री | बी.जी. शर्मा | 15-Jan-1993 | 2-Mar-1994 |
| श्री | एस. अहमद (आइ.ए.एस.) | 2-Jul-1991 | 6-Jun-1994 | श्री | अब्दुल मतीन | 1-Jul-1994 | 28-Aug-1995 |
| श्री | एन.के. वर्मा (आइ.ए.एस.) | 6-Jun-1994 | 21-Jul-1995 | श्री | एन.एन नरहरि | 29-Aug-1995 | 13-Dec-1996 |
| श्री | एस.एन. गुप्ता | 24-Jul-1995 | 30-Nov-1998 | श्री | मनोहर लाल (आइ.ए.एस.) | 14-Dec-1996 | 26-Sep-1998 |
| श्री | रवि माथुर (आइ.ए.एस.) | 11-Dec-1998 | 26-Feb-1999 | श्री | ओ.पी. मीणा (आइ.ए.एस.) | 26-Sep-1998 | 13-Apr-1999 |
| श्री | मानसिंह देवड़ा | 27-Feb-1999 | 1-Dec-2003 | श्री | प्रीतम सिंह (आइ.ए.एस.) | 13-Apr-1999 | 3-Mar-2000 |
| श्री | अशोक सम्पतराम (आइ.ए.एस.) | 18-Dec-2003 | 6-Jun-2004 | श्री | विनोद जुत्शी (आइ.ए.एस.) | 3-Mar-2000 | 13-Nov-2000 |
| श्री | बी.पी. आर्य (आइ.ए.एस.) | 7-Jun-2004 | 16-Jul-2004 | श्री | दामोदर शर्मा (आइ.ए.एस.) | 13-Nov-2000 | 17-May-2001 |
| श्रीमती | ऊषा शर्मा (आइ.ए.एस.) | 17-Jul-2004 | 24-Jun-2005 | श्री | बी.एल. आर्य (आइ.ए.एस.) | 17-May-2001 | 15-Jan-2002 |
| श्री | बी.पी. आर्य (आइ.ए.एस.) | 27-Jun-2005 | 15-Jul-2005 | श्री | एम.के. खन्ना (आइ.ए.एस.) | 15-Jan-2002 | 9-Aug-2002 |

| 'अध्यक्ष' | | | | 'आवासन आयुक्त' | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नाम | | कब से | कब तक | नाम | | कब से | कब तक |
| श्री | परमेश चन्द्र (आइ.ए.एस.) | 16-Jul-2005 | 31-Jul-2005 | श्री | अतुल शर्मा (आइ.ए.एस.) | 13-Aug-2002 | 31-May-2003 |
| श्री | (डॉ) ललित के. पंवार (आइ.ए.एस.) | 1-Aug-2005 | 20-Jan-2006 | श्री | कुलदीप शर्मा (आइ.ए.एस.) | 31-May-2003 | 15-Jun-2005 |
| श्री | अजयपाल सिंह | 21-Jan-2006 | 20-Dec-2008 | श्री | नरहरि शर्मा (आइ.ए.एस.) | 21-Jun-2005 | 17-Sep-2005 |
| श्रीमती | आर.आर. हल्दिया (आइ.ए.एस.) | 22-Dec-2008 | 16-Oct-2009 | श्री | ए.के. हेमकार (आइ.ए.एस.) | 17-Sep-2005 | 9-May-2006 |
| श्री | अशोक सम्पतराम (आइ.ए.एस.) | 17-Oct-2009 | 28-Oct-2009 | श्री | सोहन लाल (आइ.ए.एस.) | 9-May-2006 | 7-Apr-2007 |
| श्री | ललित कोठारी (आइ.ए.एस) | 29-Oct-2009 | 21-Nov-2011 | श्री | सी.एम. मीणा (आइ.ए.एस.) | 7-Apr-2007 | 18-Feb-2008 |
| श्री | परसराम मोरदिया | 21-Nov-2011 | 16-Dec-2013 | श्री | अजय सिंह (आर.ए.एस.) | 18-Feb-2008 | 30-Jul-2008 |
| श्री | जी.एस. सन्धु (आइ.ए.एस) | 19-Dec-2013 | 23-Dec-2013 | श्री | तपेन्द्र कुमार (आइ.ए.एस.) | 30-Jul-2008 | 18-Jun-2009 |
| श्री | डी.बी गुप्ता (आइ.ए.एस) | 23-Dec-2013 | 7-Jun-2014 | श्री | अशीष बहुगुणा (आइ.ए.एस.) | 18-Jun-2009 | 24-Aug-2009 |
| **श्री** | **अशोक जैन (आइ.ए.एस)** | **7-Jun-2014** | लगातार | श्री | पवन गोयल (आइ.ए.एस.) | 24-Aug-2009 | 09-May-2012 |
| | | | | श्री | टी. रविकान्त (आइ.ए.एस.) | 10-May-2012 | 28-Sept-2012 |
| | | | | श्री | नीरज के. पवन (आइ.ए.एस.) | 01-Oct-2012 | 19-Feb-2013 |
| | | | | श्री | आर. वेंकटेश्वरन (आइ.ए.एस.) | 19-Feb-2013 | 12-Feb-2014 |
| | | | | **श्री** | **आनन्द कुमार (आइ.ए.एस.)** | 12-Feb-2014 | 24-Jun-2015 |
| | | | | **श्री** | **ओम प्रकाश सैनी (आइ.ए.एस.)** | 24-Jun-2015 | लगातार |

# राजस्थान आवास मण्डल का नेटवर्क

बोर्ड की योजनाऐं जालौर, करौली जिला मुख्यालय को छोड़कर बाकी सभी जिला मुख्यालयों सहित 65 शहरों/कस्बों में विस्तारित है।

मण्डल का है यह सपना : सुंदर घर हो सबका अपना

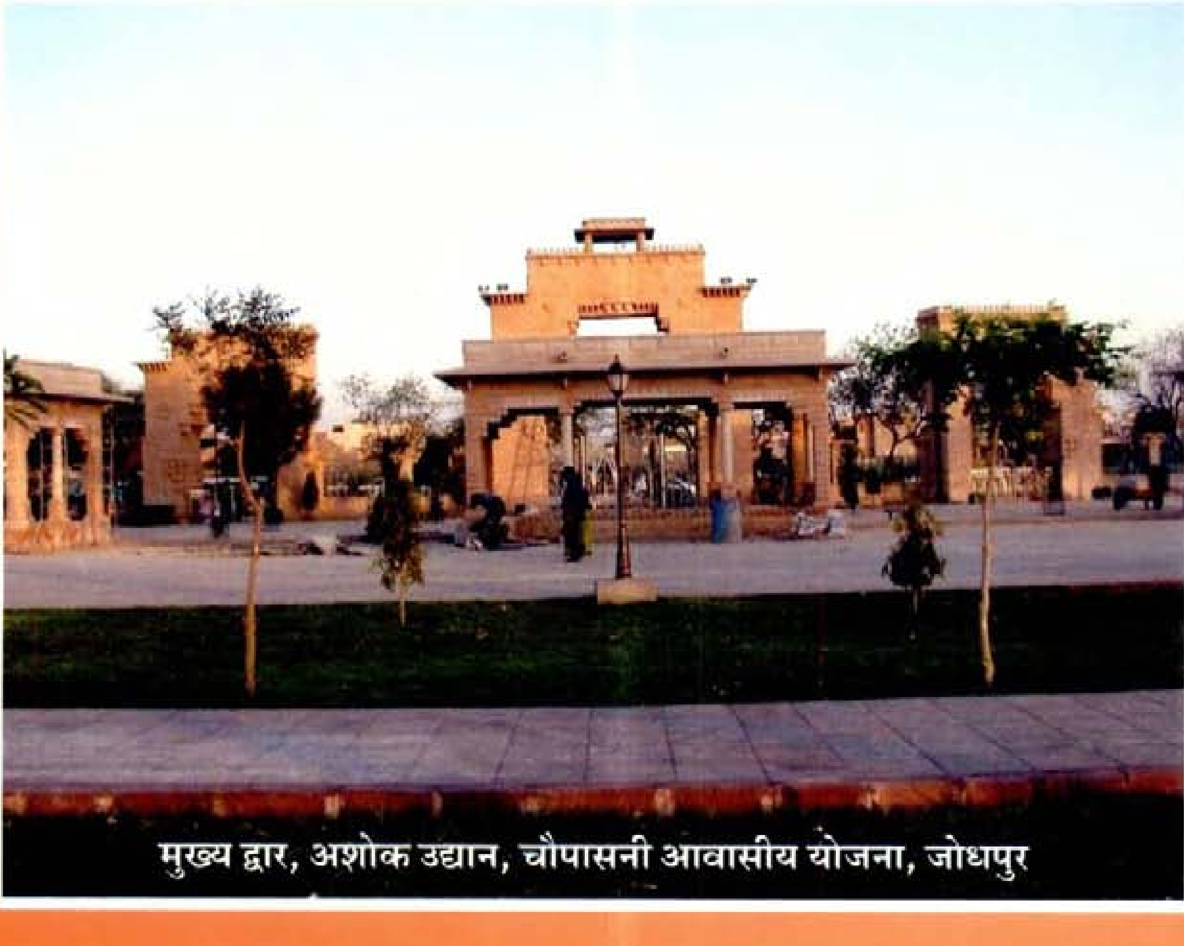

मुख्य द्वार, अशोक उद्यान, चौपासनी आवासीय योजना, जोधपुर

# राजस्थान आवासन मण्डल


'आवास भवन', जन पथ, ज्योति नगर, जयपुर - 302005 राजस्थान (भारत)
(फोन:0141 2740812, 2740113, 2740614: फैक्स - 0141 2740175)
(Website: rhbonline.rajasthan.gov.in; e-mail ID: info@rhbmail.in)